



INTERNAL CODE OF CONDUCT FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING IN DEALING WITH SECURITIES OF IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(PURSUANT TO REGULATION 9(1) OF SEBI (PROHBITTON OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015)

(Updated in May 2023)

1. PREAMBLE:

This Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 (including its amendments). This CODE shall be called the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited ("IRCON" or "Company") and are being framed with an aim that Insiders of the Company shall not derive any benefit or assist others to derive any benefit from the access to and possession of Unpublished Price Sensitive Information about the Company which is not in the public domain and thus constitutes insider information.

2. **DEFINITION:**

- **2.1** "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
- 2.2 "Board / SEBI" means the Securities and Exchange Board of India;
- **2.3** "Board of Directors" means the collective body of the Directors of the Company;
- 2.4 "CODE" means this Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in Dealing with Securities of Ircon International Limited including modification made thereto from time to time by the Company;
- 2.5 "Company / IRCON" means Ircon International Limited;
- 2.6 "Compliance Officer" for the purpose of this CODE and who is under the overall supervision of the Board of Directors of the Company, means the Designated Company Secretary of the Company who reports to the Board of Directors and is financially literate. In absence of such Designated Company Secretary, the Board of Directors may designate any other qualified Company Secretary of the Company, who will report to the Board of Directors and is financially literate, to discharge the duties of Compliance Officer under this CODE;

2.7 "Connected Person" means: -

- (i) any person who is or has during the six months prior to the concerned act been associated with a Company, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the Company or holds any position including a professional or business relationship between himself and the Company whether temporary or permanent, that allows such person, directly or indirectly, access to UPSI or is reasonably expected to allow such access;
- (ii) Without prejudice to the generality of the foregoing, the persons falling within the following categories shall be deemed to be Connected Persons unless the contrary is established: -
 - (a) an Immediate Relative of Connected Persons specified in clause (i); or
 - (b) a holding company or associate company or subsidiary company; or
 - (c) an intermediary as specified in section 12 of the Act or an employee or director thereof; or
 - (d) an investment company, trustee company, asset management company or an employee or director thereof; or
 - (e) an official of a stock exchange or of clearing house or corporation; or
 - (f) a member of board of trustees of a mutual fund or a member of the board of directors of the asset management company of a mutual fund or is an employee thereof; or
 - (g) a member of the board of directors or an employee, of a public financial institution as defined in section 2 (72) of the Companies Act, 2013; or

- (h) an official or an employee of a self-regulatory organization recognised or authorized by the Board; or
- (i) a banker of the Company; or
- (j) a concern, firm, trust, Hindu undivided family, company, association of persons or LLP, wherein a director of a Company or his Immediate Relative or banker of the Company, has more than ten per cent of the holding or interest;
- (k) professional firms such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, insolvency professional entities, consultants, banks etc., assisting or advising the Company.

Connected Person of the Company shall be deemed to have due notice of this CODE and it is the responsibility of such Connected Person to ensure adherence to this CODE.

2.8 "Designated Persons" means:

- (i) Promoter(s);
- (ii) Promoter(s) Group;
- (iii) All Directors as appointed on Board of Directors of the Company;
- (iv) Key Managerial Personnel of the Company;
- (v) Executives at the level of E-8 and above i.e. Chief General Manager and above;
- (vi) Official as mentioned below who might have access to UPSI as defined in the CODE:
 - (a) All executives in Company Secretariat, Corporate Finance & Taxation and IT Department at Corporate Office, all Secretarial Staff to functional Directors and CMD.
 - (b) Executives in the grade E7 (GM) & above in the Business Development;
- (vii) Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Employees upto two levels below CEO of the Material Subsidiary, if any;
- (viii) Such other employees of the Company including employees on deputation to subsidiary companies or associate companies that may be notified by the Compliance Officer from time to time:

Explanation: For this purpose, the term "Material Subsidiary" shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds ten percent of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

2.9 "Generally Available Information" means information that is accessible to the public on a non-discriminatory basis;

NOTE: It is intended to define what constitutes generally available information so that it is easier to crystallize and appreciate what UPSI is. Information published on the website of a stock exchange, would ordinarily be considered generally available.

- 2.10 "Immediate Relative" means a spouse of a person, and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to Trading in Securities;
- 2.11 "Insider" means any person who is:
 - (i) a Connected Person;
 - (ii) in possession of or having access to UPSI;
 - (iii) in receipt of UPSI pursuant to a "legitimate purpose";

Insider of the Company shall be deemed to have due notice of this CODE and it is the responsibility of such Insider to ensure adherence to this CODE.

- **2.12 "Key Managerial Personnel** / **KMP"**, in relation to the Company, means key managerial personnel as defined under Section 2(51) of the Company Act, 2013;
- 2.13 "Material Financial Relationship" shall mean a relationship in which one person is a recipient of any kind of payment such as by way of a loan or gift from a Designated Person during the immediately preceding twelve months, equivalent to atleast 25% of the annual income of such Designated Person but shall exclude relationships in which the payment is based on arm's length transactions;
- 2.14 "Promoter" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof:
- 2.15 "Promoter Group" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof;
- **2.16 "Regulations"** means the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and any amendment thereof;
- **2.17** "Securities" shall have the meaning assigned to it under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or any modification thereof;
- **2.18** "Trading" means and includes subscribing, redeeming, switching, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, redeem, switch, buy, sell, deal in any Securities, and "trade" shall be construed accordingly;

Note: Trading would include creation/ invocation/ revocation of pledge. Further, dealing in Securities to include direct dealing, forward or similar dealing or through portfolio management route, dealing by Designated Person or through Immediate Relatives.

- **2.19** "Trading Day" means a day on which the recognized stock exchanges are open for Trading;
- **2.20** "Unpublished Price Sensitive Information / UPSI" means any information, relating to a Company or its Securities, directly or indirectly, that is not generally available which upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of the Securities and shall, ordinarily including but not restricted to, information relating to the following:
 - (i) financial results;
 - (ii) dividends;
 - (iii) change in capital structure;
 - (iv) mergers, de-mergers, acquisitions, delisting, disposals and expansion of business and such other transactions;
 - (v) changes in Key Managerial Personnel;

NOTE: It is intended that information relating to the Company or Securities, that is not generally available would be UPSI if it is likely to materially affect the price upon coming into the public domain. The types of matters that would ordinarily give rise to UPSI have been listed above to give illustrative quidance of UPSI.

3. INTERPRETATION:

(i) All terms used in this CODE but not defined herein shall have the meanings assigned to them under the Regulation, Acts or the Companies Act, 2013 as the case may be;

- (ii) Words importing the singular number shall include the plural and vice versa;
- (iii) References to one gender shall include all genders;
- (iv) The index hereto and headings herein shall not affect the construction of this CODE;
- (v) Reference herein to any enactment shall be deemed to include reference to such enactment as re-enacted, amended or extended.
- (vi) Any phrase introduced by the terms "including", "include" or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms.
- (vii) The Appendix and Forms are an integral and inseparable part of this CODE.

4. RESTRICTION ON COMMUNICATION AND TRADING BY INSIDERS

4.1 Communication or procurement of UPSI

- 1) No Insider shall communicate, provide, or allow access to any UPSI, relating to a Company or Securities listed or proposed to be listed, to any person including other Insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- 2) No person shall procure from or cause the communication by any Insider of UPSI, relating to a Company or Securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- 3) Any Department(s) of the Company, which is engaging any intermediary / fiduciary, shall take an undertaking in **Form A** and the same may be considered as due notice to maintain confidentiality.

4.2 Structure Digital Database

- All Insiders need to ensure that details of the persons/entities, including Name and Permanent Account Number (PAN) or any other identifier authorized by law where PAN is not available, with whom UPSI is shared, is immediately provided to the Compliance Officer to enable maintenance of the structured digital database as required under SEBI Insider Trading Regulations.
- 2) The Compliance Officer of the Company shall, on receipt of the information from the Insider or of such UPSI shared by him directly with other Insiders, maintain a structured digital database containing the nature of UPSI and the names & other details of Insider who have shared the information and other Insider with whom information is shared.
- 3) Such database shall not be outsourced and shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trails to ensure non-tampering of the database. Such database shall be preserved for a period of not less than eight years after completion of the relevant transactions and in the event of receipt of any information from the SEBI regarding any investigation or enforcement proceedings, the relevant information in the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings.

4.3 Trading when in possession of UPSI

1) Subject to the provisions of the Regulations, no Insider shall Trade in Securities of the Company that are listed or proposed to be listed on any stock exchange when in possession of UPSI.

Explanation: When a person who has Traded in Securities has been in possession of UPSI, his Trades would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information in his possession.

2) In the case of Connected Persons the onus of establishing, that they were not in possession of UPSI, shall be on such Connected Persons and in other cases, the onus would be on the SEBI.

5. TRADING PLANS

- **5.1** An Insider shall be entitled to formulate a trading plan and present it to the Compliance Officer for approval and public disclosure pursuant to which Trades may be carried out on his behalf in accordance with such plan.
- 5.2 Such trading plan shall: -
 - 1. not entail commencement of Trading on behalf of the Insider earlier than six months from the public disclosure of the plan;
 - 2. not entail Trading for the period between the twentieth Trading Day prior to the last day of any financial period for which results are required to be announced by the issuer of the Securities and the second Trading Day after the disclosure of such financial results;
 - **3.** entail Trading for a period of not less than twelve months;
 - **4.** not entail overlap of any period for which another trading plan is already in existence;
 - 5. set out either the value of Trades to be effected or the number of Securities to be Traded along with the nature of the Trade and the intervals at, or date on which such Trades shall be effected; and
 - **6.** not entail Trading in Securities for market abuse.
- **5.3** The trading plan shall be as per Regulations and Application for trading plan shall be given in **Form I**.
- 5.4 The Compliance Officer shall review the trading plan to assess whether the plan would have any potential for violation of this CODE/ Regulations and shall be entitled to seek such express undertakings as may be necessary to enable such assessment and to approve and monitor the implementation of the plan. In the absence of the Compliance Officer, the officer authorized by the Compliance Officer shall process the trading plan application.

Provided that pre- clearance of Trades shall not be required for a Trade executed as per an approved trading plan.

Provided further that trading window norms and restrictions on Contra Trade shall not be applicable for Trades carried out in accordance with an approved trading plan.

5.5 The trading plan once approved shall be irrevocable and the Insider shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any Trade in the Securities outside the scope of the trading plan.

Provided that the implementation of the trading plan shall not be commenced if any UPSI in possession of the Insider / Designated Person at the time of formulation of the plan has not become generally available at the time of the commencement of implementation. The commencement of trading plan shall be deferred until the expiry of forty-eight hours after such UPSI becomes generally available.

- **5.6** Letter of intimation of approval/rejection of trading plan is at **Form II**.
- 5.7 Upon approval of the trading plan, the Compliance Officer shall notify the plan to the stock exchanges on which the Securities are listed.
- 5.8 Such Insider is required to intimate the Compliance Officer regarding execution of trading plan within two Trading Days of each transaction intimated under the trading plan as per performa provided in **Form III**.
- 5.9 The Compliance Officer shall maintain a register of trading plan of securities by the Insiders and notification to Stock Exchange as given in **REG I**.
- **5.10** In case of trading plan of the Compliance Officer or the Immediate Relatives of the Compliance Officer, the Compliance Officer shall present the trading plan to the Chairman & Managing Director of the Company in respect thereto. The remaining provisions of this Clause 5 shall be applicable *mutatis-mutandis* to such an application made by the Compliance Officer.

6. TRADING WINDOW

- 6.1 Designated Persons of IRCON or their Immediate Relatives shall not Trade in Securities of IRCON when trading window is closed. The trading window shall be closed when the Compliance Officer is of the view that a Designated Person or class of Designated Persons can reasonably be expected to have possession of UPSI.
- 6.2 In case of financial results, trading window shall be closed from the end of every quarter. In cases other than the financial results, the trading window shall remain closed as decided by the Compliance Officer and the timing for re-opening of the trading window shall be determined by the Compliance Officer taking into account various factors including the UPSI in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market, which in any event shall not be earlier than 48 hours after the information becomes generally available.
- **6.3** The trading window restrictions mentioned above shall not apply in respect of:
 - transactions specified in clauses (i) to (iv) and (vi) of the proviso to sub-regulation (1) of regulation 4 of the Regulations or allowed under any other provisions of the Regulations and in respect of a pledge of shares for a bonafide purpose such as raising of funds, subject to pre-clearance by the Compliance Officer and compliance with the respective regulations made by the SEBI;
 - 2. transactions which are undertaken in accordance with respective regulations made by the SEBI such as acquisition by conversion of warrants or debentures, subscribing to rights issue, further public issue, preferential allotment or tendering of shares in a buy-back offer, open offer, delisting offer or transactions which are undertaken through such other mechanism as may be specified by the SEBI from time to time;

- 3. Trades pursuant to exercise of stock options.
- **6.4** The remaining days of a financial year when the trading window is not closed shall be called "Valid Trading Window".
- 6.5 All Designated Persons shall conduct their Trading in the Securities of the Company only in the "Valid Trading Window" period as mentioned above and shall not enter into "Contra Trade" i.e. opposite or reverse transactions, in the Securities of the Company during the next six months following the immediate previous transaction. The Compliance Officer is empowered to grant relaxation from strict application of such restriction for reasons to be recorded in writing provided that such relaxation does not violate these CODE/ Regulations. Should a Contra Trade be executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a restriction, the profits from such Trade shall be liable to be disgorged for remittance to the SEBI for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the SEBI under the Act.
- 6.6 The Compliance Officer shall maintain a register of the periods of "Closed Trading Window", wherein he shall record the date of closure and opening of the trading window and the purpose, if any, for which trading window is closed. A Performa of the register of periods of closure of Trading Window is given in **REG II.**

7. PRE-CLEARANCE OF TRADES

- **7.1** During Valid Trading Window, a Designated Person, who intends to Trade in the Securities of the Company above the minimum threshold limit of 25,000 number of Securities to be Traded whether in one transaction or a series of transactions over any calendar month, shall obtain preclearance of the transaction as per the procedure as described hereunder.
- **7.2** Application along with undertaking for pre-clearance shall be made only during Valid Trading Window in **Form IV**. Application submitted during closure of trading window shall be invalid.
- **7.3** No Designated Person shall apply for pre-clearance of any proposed Trade, if such Designated Person is in possession of UPSI even if the trading window is not closed.
- **7.4** Letter of intimation of approval / rejection is at **Form II**.
- 7.5 Immediately on receipt of the pre-clearance application, the Compliance Officer shall process the pre-clearance applications and if the pre-clearance application is in accordance and in compliance with the provisions of this CODE, the Compliance Officer shall endeavour to communicate the pre-clearance immediately but not later than two Trading Days from the date of receiving the application. In the absence of the Compliance Officer, the officer authorized by the Compliance Officer shall process the pre-clearance.
- **7.6** The Compliance Officer shall maintain a register of pre-clearance of securities by the Designated Person as given in **REG III.**
- 7.7 The Designated Person shall, within seven Trading Days, execute the Trade after the preclearance. If the Trade is not executed within seven Trading Days after the pre-clearance is given, the Designated Person shall obtain fresh pre-clearance. Such Designated Person is required to intimate the Compliance Officer regarding execution/non-execution of pre-approved transaction within two Trading Days as per proforma provided in **Form III.**
- 7.8 For any transactions in the Company's Securities proposed to be entered into by the Compliance Officer or the Immediate Relatives of the Compliance Officer, the Compliance Officer shall seek pre-clearance from the Chairman & Managing Director of the Company in respect thereto. The

remaining provisions of this Clause 7 shall be applicable *mutatis-mutandis* to such an application made by the Compliance Officer.

8. DISCLOSURE OF TRADING BY INSIDERS

8.1 General Provisions

1. The disclosures to be made by Designated Person / Connected Person / Insider under this CODE shall include those relating to Trading by such person's Immediate Relatives, and by any other person for whom such person takes Trading decisions.

8.2 Initial Disclosures

1. Every person on appointment as a Key Managerial Personnel or a Director of the Company or upon becoming a Promoter or member of the Promoter Group shall disclose his holding of Securities of the Company as on the date of appointment or becoming a Promoter or member of the Promoter Group, to the Company within seven days of such appointment or becoming a Promoter or member of the Promoter group in **Form B**.

8.3 Continual Disclosures

- 1. Every Promoter, member of the Promoter Group, Designated Persons and Director of the Company shall disclose to the Company the number of such Securities acquired or disposed of within two Trading Days of such transaction if the value of the Securities Traded, whether in one transaction or a series of transactions over any calendar quarter, aggregates to a Traded value in excess of ten lakh rupees or such other value as may be specified by the Compliance Officer from time to time in Form C.
- 2. The Company shall notify the particulars of such Trading to the stock exchange on which the Securities are listed within two Trading Days of receipt of the disclosure or from becoming aware of such information.

Explanation — It is clarified that for the avoidance of doubts that the disclosure of the incremental transactions after any disclosure under this clause, shall be made when the transactions effected after the prior disclosure cross the threshold specified above.

8.4 Other Disclosures

1. In case of transaction of Securities in an off-market inter-se transfer between Insiders who were in possession of the same UPSI without being in breach of regulation 3 of the Regulation and both parties had made a conscious and informed Trade decision, such off-market Trades shall be reported by the Insiders to the Compliance Officer within two working days. The Company shall notify the particulars of such Trades to the stock exchange on which the Securities are listed within two Trading Days from receipt of the disclosure or from becoming aware of such information.

Provided that such UPSI was not obtained under sub-regulation (3) of regulation 3 of the Regulations.

2. Disclosure by other Connected Person: The other Connected Person or class of Connected Persons may be required, to make disclosures of holdings and/or Trading in Securities of the Company in Form D, and at such frequency as may be determined, by the Compliance Officer from time to time.

8.5 Disclosures on an appointment / annual basis/ upon changes in information:

- 1. Designated Persons shall disclose in **Form E** (including undertaking), along with their shareholding, the name and PAN or any other identifier authorized by law (Aadhaar, Voter ID, Driving License, Passport) if PAN is not obtained, of the following persons to the Company on an appointment / annual basis, within 30 days, of the end of the financial year or as and when the information changes:
 - a) Immediate Relatives;
 - **b)** persons with whom such Designated Person shares a Material Financial Relationship;
 - c) Phone, mobile and cell numbers which are used by them;

In addition, the names of educational institutions from which Designated Persons have graduated and names of their past employers shall also be disclosed on a one-time basis.

9. MISCELLANEOUS

- **9.1** The Compliance Officer shall be responsible for:
 - 1. Compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring adherence to the rules for the preservation of UPSI, monitoring of Trades and the implementation of the CODE under the overall supervision of the Board of Directors of the Company.
 - 2. Putting up a report to the Board of Directors and to the Audit Committee, after the closure of the financial year, providing details of transactions by Designated Persons or approval of any trading plan, pre- clearance of Trade, etc. and the Board of Directors and the Audit Committee shall review the compliances of this CODE.
 - **3.** Taking such other measures as necessary in the interest of due compliance of this CODE and the Regulations.
 - **4.** Unless express otherwise, maintenance of records of disclosures made under this CODE shall be for a period of 5 years.
 - In the performance of his duties, the Compliance Officer shall have access to all information and documents relating to the Securities or any other information as may be required by the Compliance Officer in order to ensure compliance with this CODE and the Regulations. All Designated Persons / Insiders shall co-operate with the Compliance Officer in this regard.
- 9.2 The obligation to obtain pre-clearance, trading plan, submission of report on Trade executed/not executed, restriction on Trade during trading window closure, restriction on Contra-Trade is not only applicable to standalone Trade of Designated Person but on all Trades done by Immediate Relatives, collectively considered as one & the same series of Trade, on consolidated basis, for the purpose of the CODE and the Regulations.

9.3 Code of Conduct for Intermediaries / Fiduciary

1. The board of directors or head(s) of the organization of every intermediary / fiduciary shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report Trading by their designated persons and immediate relatives of designated persons, by adopting the minimum standards as specified in the Regulations.

9.4 Penalty for Contravention of CODE

1. Any Designated Persons, who Trades in Securities of the Company, or communicates any UPSI, in contravention of this CODE, may be penalized and appropriate action may be taken by the Competent Authority as defined under Conduct, Discipline and Appeal Rules (CDA) of the Company and shall also be subject to disciplinary action (which may include wage freeze, suspension, recovery, clawback) by the Competent Authority.

A Report on violation of the CODE and Regulations shall be promptly informed to the stock exchange(s) where the concerned Securities are Traded.

In case of violation of the CODE and/or Regulations, the following penalties shall be imposed on the Designated Person / Insiders:

S. No.	Violation	Penalty*
1.	Trading in Securities of IRCON either in name of the Designated Person / Insider or in the name of their Immediate Relative, when the trading window remains closed.	Rs.5,000/- per occasion
2.	In case of entering into Contra Trade	Rs.5,000/- per occasion
3.	Non-Updation of data on software as informed by the Company from time to time	Rs.2,000/-

^{*}In case of any instance of violation by the Designated Person / Insider, the amount of penalty shall be deducted from the Salary / outstanding bills of the Designated Person / Insiders directly and be deposited to Investor Protection and Education Fund of SEBI(IPEF A/c).

- 2. The Compliance Officer shall place non-compliance/ violation of the CODE / Regulations before the Audit Committee and Board of Directors before depositing the amount of penalty into IPEF A/c.
- 3. The Audit Committee may recommend the relaxation of, and/or the Board of Directors may relax, in their absolute discretion, the above-mentioned penalties / any other disciplinary action, if deemed fit on the merits of the case.

9.5 Power of SEBI

1. The action by the Company shall not preclude SEBI and other authorities from taking any action in case of violation of the Regulations. In case the Regulations or any Statutory Provisions are more stringent than those contained in the CODE, the Regulations / Statutory Provisions shall prevail.

9.6 Clarifications and Modifications

- **1.** For all queries concerning this CODE, Designated Person / Insider may please contact the Compliance Officer.
- 2. In case any provision(s) of this CODE is contrary to or inconsistent with the provisions of the Regulations due to amendments or otherwise, the Regulations shall prevail.
- 3. The Compliance Officer shall have the right to amend and modify this CODE in consultation with the Chairman & Managing Director provided that any such amendment or modification

to the CODE are statutory required in compliance with the Regulations and shall be tabled before the Board of Directors at the immediate next meeting.

9.7 Digitization of Data

- 1. The Company has provided and implemented a web-based software for digitization of the data and records required to be maintained for and by the Designated Persons / Insiders and by the Company as provided in the Regulations / CODE including submission of the undertakings, continual / annual disclosures, approval of the trading plan etc. With implementation of web-based software, the forms, registers & other records as attached in the CODE are replaced in similar formats with the forms, registers & other records provided in the web-based software.
- 2. The Company reserves the right to amend or replace the existing web-based software with any other of the same kind or develop its own software for digitizing the records of the Insider/Designated Persons. Insider/ Designated Persons shall adhere to and comply with the requirement of taking approval and submitting disclosures etc. through the web-based software.

Disclaimer

THIS CODE IS ONLY INTERNAL CODE OF CONDUCT AND ONE OF THE MEASURES TO AVOID INSIDER TRADING. EVERY CONNECTED PERSON / INSIDER IS REQUIRED TO FAMILIARISE HIMSELF WITH THE REGULATIONS AS IT WILL BE THE RESPONSIBILITY OF EACH CONNECTED PERSON/INSIDER (AND HIS IMMEDIATE RELATIVES) TO ENSURE COMPLIANCE OF THIS CODE, REGULATIONS AND OTHER RELATED STATUTES FULLY.

-----X ------

CODE OF PRACTICES AND PROCEDURES FOR FAIR DISCLOSURE OF UNPUBLISHED PRICE SENSITIVE INFORMATION FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING ("Fair Disclosure Code")

{PURSUANT TO REGULATION 8(1) OF SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015}

1. Overseeing and coordinating disclosure:

Executive Director in Finance Department, in absence of Executive Director, Chief General Manager or any other person authorized by the Chairman & Managing Director will be Chief Investor Relation Officer. She/ He shall be responsible for ensuring timely and adequate disclosure of UPSI pursuant to this Fair Disclosure Code as required under the Regulations.

The Chief Investor Relation Officer with the approval of the Director (Finance) shall be responsible for overseeing and co-coordinating disclosure of UPSI to stock exchanges, analysts, shareholders. She/he will also be responsible for vetting the information released to media consistent with information displayed on stock exchanges.

Information disclosure /dissemination shall be approved in advance by Director (Finance). If information is accidentally disclosed without prior approval, the person responsible may inform the Chief Investor Relation Officer immediately, even if the information is not considered price sensitive.

2. Responding to market rumors:

The Chief Investor Relation Officer shall respond to any queries or requests for verification of market rumors by exchanges.

The Chief Investor Relation Officer shall be also responsible for deciding in consultation, with the Director (Finance) and /or the Chairman & Managing Director, if deemed necessary, as to the necessity of a public announcement for verifying or denying rumors and thereafter making appropriate disclosures.

3. Timely reporting of shareholdings/ownership and changes in ownership:

The Compliance Officer shall be responsible for ensuring that disclosures of shareholdings/ownership of major shareholders and disclosure of changes in ownership, as required under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and/or any rules/regulations made under the Securities & Exchange Board of India Act, 1992, are made in a timely and adequate manner. The Compliance Officer shall ensure that the Company complies with the disclosure requirements.

4. Disclosure/ dissemination of UPSI with special reference to analysts, institutional investors:

Other than the Directors, no person, except those authorized by the Chief Investor Relation Officer, shall disclose any information relating to the Company's Securities to analysts/research persons and institutional investors. The Directors shall include the Chief Investor Relation Officer in their handling of UPSI.

All the Officers, other than the Designated Persons and Directors of the Company should follow the quidelines given hereunder while dealing with analysts and institutional investors:

Sharing of non-public information:

Directors/ other Officers authorized by the Director (Finance) shall provide only public information to the analysts/ research persons/ large investors like institutions. In case non-public information is proposed to be provided, the person proposing to do so shall provide information after consulting the Chief Investor Relation Officer in advance. The Chief Investor Relation Officer in such cases, shall ensure that the Information provided to the analyst/research person/investor is simultaneously made public at the earliest.

Handling of unanticipated questions:

The Chief Investor Relation Officer should tackle the unanticipated questions carefully. The unanticipated questions may be noted and a considered response be given later in consultation with the Director (Finance) and the Chairman & Managing Director. If the answer to any question requires dissemination of UPSI, the Chief Investor Relation Officer shall report the same to the Director (Finance) and Chairman & Managing Director and obtain necessary approval for its dissemination to the Stock Exchanges/public announcement through press. The Chief Investor Relation Officer after dissemination of such UPSI aforesaid, respond to such unanticipated questions.

The Directors/ employees shall take extreme care and caution when dealing with analysts' questions that raise issues outside the intended scope of discussion.

Recording of discussion:

All the analyst, broker or Institutional investor meetings shall be attended by the Chief Investor Relation Officer and another senior employee(s) of the Company as may be notified by the Chief Investor Relation Officer with the approval of the Director (Finance). All the discussion during quarterly con-calls will be recorded and transcripts will be placed on website under "Investor" page.

Simultaneous release of information:

Whenever the Chief Investor Relation Officer proposes to organize meetings with investment analysts/institutional investors, the Company shall make a press release or post relevant information on its website after every such meeting. The Chief Investor Relation Officer shall be responsible for vetting of the text of the information to be posted on the Company's web-site with the approval of the Director (Finance) and/ or the Chairman & Managing Director.

5. Institutional Mechanism for Prevention of Insider Trading:

The Chief Investor Relation Officer shall put in place adequate and effective system of internal controls to ensure compliance with the requirements of these Regulations to prevent insider trading.

6. Whistle Blower Mechanism to report any leak of UPSI:

In case any employee suspects any leak of UPSI, he may immediately blow the whistle and address the instance to the Chairman and Managing Director of the Company or in exceptional cases i.e. in respect of complaint against officer of E-9 grade to the Chairman of the Audit Committee, by an email or sealed envelope.

In case of leak of UPSI or suspected leak of UPSI, the Company shall follow policies / procedures for inquiries as mentioned in Whistle Blower Policy of the Company.

Further, the Company shall inform the SEBI promptly of such leaks, inquiries and results of such inquiries.

Further also, the relevant intermediaries /fiduciaries, if any, shall co-operate with the Company in connection with such inquiry conducted by the Company.

7. Policy for Determination of "Legitimate Purpose"

Meaning of Legitimate Purpose

In this Policy, the term "Legitimate Purpose" shall generally include any purpose for which UPSI has been shared in the ordinary course of business or in the interest of the Company or performance of duties or discharge of legal obligations, on a need- to-know basis *inter alia*, including sharing of UPSI for any assignment in furtherance of the business interests of the Company, in respect of any proposed assignments or in order to avail professional services or other business purposes.

The sharing of UPSI by an Insider shall be deemed to be for "Legitimate Purpose" if it satisfies the following criteria which includes:

- The UPSI shall be shared strictly on 'need to know' basis;
- Such sharing of UPSI shall be in the ordinary course of business such as performance of
 duties, discharge of legal obligations, etc. with partners, collaborators, lenders, customers,
 suppliers, merchant bankers, legal advisors, auditors, insolvency professionals or other
 advisors or consultants, provided that such sharing has not been carried out to evade or
 circumvent the prohibitions of the Regulations and the CODE;
- The Insider shall share the UPSI with the external agencies only in the interest of the Company and/or in compliance with the requirements of the law including the Regulations;
- Any person in receipt of UPSI pursuant to a legitimate purpose shall be considered an "Insider" and due notice shall be given to such person to maintain confidentiality of UPSI;
- All Insiders shall ensure non-disclosure or confidentiality agreements with the persons with whom UPSI is shared and the duties and responsibilities of such person with respect to such UPSI and the liabilities involved if such person misuses or uses such UPSI in breach of the CODE.

8. Medium of disclosure/ dissemination:

The Chief Investor Relation Officer with approval of the Director (Finance) and /or the Chairman & Managing Director shall disseminate all UPSI on a continuous and in a timely manner to stock exchanges where its Securities are listed and thereafter to the press.

As a good corporate practice, the UPSI disclosed to the Stock Exchanges and to the Press may also be supplemented by prompt updates on the Company's web-site by the Chief Investor Relation Officer. The Company may also consider other modes of public disclosure of UPSI so as to improve investor access to the same.

The Chief Investor Relation Officer shall mark a copy of the press release to the public relation group simultaneously for supplementing the Company's website: www.lrcon.org.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the information filed by the Company with the stock exchanges shall also be posted on the Company's website.

FORM-I

APPLICATION FOR TRADING PLAN TO TRADE IN SECURITIES OF IRCON INTERNATIONAL LIMITED

To
The Compliance Officer
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
C-4, District Centre, Saket,
New Delhi – 110017

Dear Mam / Sir,

Pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, and the Company's Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code, I seek approval for trading plan in Securities of Ircon International Limited as per the details given below:

Full Name:				PAN No:	
& Empor	nated Person - nation, Department ployee Code: r - Relationship with ompany & Name of nediary / fiduciary:			Email ID:	
	d of Trading Plan:			KMP: Y/N	
Addre	ss (Office):			Address (Resi.):	
Sn.	No. & %age of Secur	ities / voting rights	Folio No. /	Nature of new	Specific Dates / intervals of
	held (including that	of the Immediate	DP ID &	Transaction for	Trades/ Date of allotment
	Relative as on the d	ate of application)	Client ID	which approval is	
				sought	
1	2		3	4	5
•					<u> </u>

Estimated number of	Estimated	Whether proposed	Name & PAN of	Previous approval
Securities/ to be dealt for each date / intervals	Aggregated Consideration Value (as per latest available current market price) for each date / intervals	transaction under self-name or by Immediate Relative	the Immediate relative, if the transaction is made by Immediate Relatives	no. and date of purchase / allotment
6	7	8	9	10
			_	

UNDERTAKING

In this connection I solemnly confirm and declare:

- a) that I do not have access and/or have not received any UPSI up to the time of signing the undertaking;
- b) that the trading plan once approved shall be irrevocable and I shall mandatorily implement the plan, without being

entitled to either deviate from it or to execute any Trade in the Securities outside the scope of the trading plan;

- c) that the implementation of the trading plan shall not be commenced, if any UPSI in my possession at the time of the formulation of the plan, has not become generally availableat the time of the commencement of implementation of any part of trading plan;
- d) that I have not contravened / will not contravene the CODE, Fair Disclosure Code as notified by the Company from time to time;
- **e)** I shall intimate the Compliance Officer regarding execution of trading plan within two Trading Days of each transaction approved under the trading plan.
- f) that I am aware that, I shall be liable to face penal consequences as set forth in the CODE including disciplinary action under the CODE of the Company, in case the above declarations are found to be misleading or incorrect at any time.
- g) that I hereby made a full and true disclosure in the matter.

Place:	Signature
Date:	Name:

FOR OFFICE USE

Date of receipt of the Application:

FORM-II Letter of intimation of Pre-Clearance/ Approval of Trading Plan

Full Name & Employee Code	
Immediate Relatives, if any	
Date of receipt of the Application	
Date of communication of approval or rejection	

Dear Sir,

Approval

With reference to your above application seeking approval for undertaking transactions in Securities detailed therein, please be informed that you are hereby authorized to undertake the transaction(s) as detailed in your said application for approval of Trading Plan/ Pre-clearance subject to following.

This approval is being issued to you based on the various declarations, representations and warranties made by you in your said application.

Kindly note that in terms of the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in Dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code of Ircon International Limited, the above-mentioned transaction is to be completed within seven Trading Days of the pre-clearance, in case of pre-clearance. In case of approval of trading plan, such plan shall be irrevocable and you have to mandatorily implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan.

Further, you are required to file the details of the executed transactions in the attached format within two {2} trading days from the date of transaction/deal.

In case of pre-clearance, the above sanction automatically stands withdrawn if subsequently the trading window is declared closed involving the period of sanction therein.

<u>OR</u>

Rejection

Conditions / Reasons for Rejection (if any)

With reference to your above application seeking approval for undertaking transactions in Securities detailed therein, please be informed that you are hereby not authorized to undertake the transaction(s) as detailed in your said application for approval of Trading Plan/ Pre-clearance:

	For Ircon International Limited
Place: Date:	Compliance Officer / Authorized Person

FORM III FORMAT FOR DISCLOSURE OF PRE-APPROVED/ TRADING PLAN TRANSACTIONS (To be submitted within two Trading Days of Trade/Dealing in Securities of the Company)

Date:							
To, The Complian IRCON INTER C-4, District Co New Delhi – 1	RNATIONAL Lii entre,Saket,	mited					
Dear Mam / Si	ir,						
Ref: Your Ap	proval, if any,	dated					
		•		e-clearance only) elow			
Name & PAN of person executed Trades (Singly / Jointly)	Number of Securities for which approval obtained, if any	Date of Trades	No. of Securities Traded	Type of Trades (e.g. buy/ sell/ subscribed)	DP ID/ Client ID or Folio no.	Price (Rs)	Remarks
produce to the Further, enclo 1. Bro 2. Ex	e Compliance C sing following o oker's / Contrac tract of bank pa	Officer/SEBI a documents: ctors contract assbook/state	Ill the related re note & Proof c ement (to be su	undertake to prese ecords. of payment to/from b bmitted in case of D case of sale transa	rokers; emat transacti	·	ree) years and
				no provisions of the above said transac		ODE and/o	r applicable
Yours truly,							
Signature: Name: Employee No Dept/ Div.	o:						

Strike out whichever is not applicable.

FORM-IV

APPLICATION FOR PRE-CLEARANCE TO TRADE IN SECURITIES OF IRCON INTERNATIONAL LIMITED

To
The Compliance Officer
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
C-4, District Centre, Saket,
New Delhi – 110017

Dear Mam / Sir,

Pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, and the Company's Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code, I seek pre-clearance for Trading in Securities of IRCON INTERNATIONAL LIMITED as per the details given below:

Full Name: Designation, Department & Employee Code:	PAN No: Email ID:	
KMP: Y/N	•	

Sn.	No. & %age of Securities/ voting rights held (including That of the Immediate Relative) as on the date of application	Details (Date, Number / value and Type) of Trades / deals done during six months before the date of this application by Designated Persons / Immediate Relative	Folio No. / DP ID & Client ID		Estimated number of Securities/ to be Trades
1	2	3	4	5	6

Estimated Aggregated	Whether proposed	Name & PAN of the	Proposed Date	Previous approval
Consideration Value to	transaction under	Immediate Relative,	Of Trades/	no. and date of
proposed Trade (as per	self-name or by	if the transaction is	Date of	purchase/
latest available current	Immediate	to be made by	allotment	Allotment
market price)	Relative	Immediate Relatives		
7	8	9	10	11

UNDERTAKING

In this connection I solemnly confirm and declare:

- a) that I do not have access and/or have not received any UPSI up to the time of signing the undertaking;
- b) that in case I have access to or receive UPSI after the signing of the undertaking but before the execution of the transaction, I shall inform the Compliance Officer of any change in my position and that I shall refrain from Dealing in Securities till the time such information becomes public;
- c) that I have not contravened the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code as notified by the Company from time to time.
- d) I shall Trade, that have been pre-cleared, within seven Trading Days from approval of pre-clearance;

- e) I shall not execute a Contra Trade within a period of six months from the executed Trade;
- f) that I undertake to submit the necessary report within two Trading Days of execution of the transaction/a 'Nil'report if the transaction is not undertaken;
- g) that I am aware that, I shall be liable to face penal consequences as set forth in the CODE including disciplinary action under the CODE of the Company, in case the above declarations are found to be misleading or incorrect at any time.
- h) that I hereby undertake **not** to transact in Securities in the sanctioned period in case trading window isdeclared closed subsequently;
- i) that I hereby made a full and true disclosure in the matter.

In the event of any statement made above is found to be untrue or in the event of my failure to comply with the assurance and undertaking given by me as above, I shall assume total responsibility for any consequences whatsoever including by way of penalties, claims, damages, expenses and losses arising as a result of such failure.

Place: Signature: Date: Name:

FOR OFFICE USE

Date of receipt of the Application:

FORM A

Undertaking from Intermediary / Fiduciary

Details

Sn.

Particulars

1	Name of Entity:		
2	Type / Nature of Entity		
3	Point of Contact – Name and Mobile Number		
4	PAN of Entity / other identifier, if PAN not applicable		
5	Whether Code of Conduct under Schedule C of SEBI PIT is made or not (Yes / No)		
6	Confidentiality / Non-Disclosure Agreement (Yes / No)		
7	Date of Confidentiality / Non- Disclosure Agreement		
8	Others Details, if any		
have due		that I have received Ircon International Limited' CODE an any UPSI in compliance with this CODE and will comply wi	
		For	
		Name:	
Date:		Designation:	
Place:		(Duly Authorized Signatories / Representatives)	

FORM B

SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015 [REGULATION 7 (1) (B) READ WITH REGULATION 6(2) – DISCLOSURE ON BECOMING A KEY MANAGERIAL PERSONNEL/DIRECTOR/PROMOTER/MEMBER OF THE PROMOTER GROUP]

Name of the Company: ISIN of the Company:

Details of Securities held on appointment of Key Managerial Personnel (KMP) or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of a listed

company and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

Name, PAN, CIN / DIN & Address with contact nos.	Category of Person (KMP / Director or Promoter or member of the Promoter	Date of appointment of KMP/ Director / OR Date of becoming Promoter/			% of Shareholding
	Group / Immediate	member of the Promoter	Type of Securities (For eg. – Shares,	No.	
	Relative to/ others, etc.)	Group	Warrants, Convertible Debentures,		
			Rights entitlements, etc.)		

Note: "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

Details of Open Interest (OI) in derivatives on the securities of the company held on appointment of KMP or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of a listed company and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

	uture contracts held at the to ecoming Promoter/ member		Open Interest of the Option Contracts held at the time of appointment of Director/KMP or upon becoming Promoter/ member of the Promoter Group			
Contract specifications	Number of units (contracts* lot size)	Notional value in Rupee terms	Contract specifications	Number of units (contracts * lot size)	Notional value in Rupee terms	

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on premium plus strike price of options

Name & Signature: Designation:

Date:

Place:

FORM C SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 [Regulation 7 (2) read with Regulation 6(2) – Continual Disclosure]

Name of the Company: ISIN of the Company:

Details of change in holding of Securities of Promoter, Member of the Promoter Group, Designated Person or Director of a listed company and Immediate Relatives of such persons and other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

such perso	ons and other	such persons	as mentio											
Name, PAN, CIN/	Category of Person (Promoter/	Securities he to acquis dispos	ition/	Securition	Securities acquired/ disposed			acquisit	acquisition/ allogous acquisition/ allogous adv		Date of allotment advice/ n to acquisitio Company	n to	•	Exchang e on which the trade was
DIN, & addres s with contact nos.	member of the Promoter Group/ Designate d Person/								acquisitio n of shares/ disposal of shares, specify		Company	(on market/ public/ rights/ preferentia I offer/	executed	
	Director s/ Immediate Relative to/ others etc.)	Type of Securities (For eg Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement s etc.)	No. and % of share holdin g	Type of Securities (For eg. - Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No	Valu e	Transactio n Type (Purchase/ sale Pledge / Revocation / Invocation/ Others- please specify)	Type of Securities (For eg Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holdin g	From	То		off market/ Inter-se transfer, ESOPs, etc.)	

Note: (i) "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. (ii) Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

Details of Trading in derivatives on the Securities of the Company by Promoter, member of the Promoter Group, Designated Person or Director of a listed company and Immediate Relatives of such persons and other such persons as mentioned in Regulation 6(2)

	Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)											
Type of contract	Type of contract Buy Sell											
	specifications	Notional Value	Number of units	Notional Value	Number of units	executed						
			(contracts * lot size)		(contracts * lot size)							

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Name & Signature: Date: Designation: Place:

FORM D

SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Regulation 7(3) – Transactions by Other Connected Persons as identified by the Company

Name of the Company: ISIN of the Company:

Details of trading in Securities by other Connected Persons as identified by the Company

Name, PAN, CIN/ DIN, & address with contact nos. of other Connecte	PAN, CIN/ DIN, & address with contact nos. of other		to acquisition/ disposal			ecurities acquired/ disposed			Securities held post acquisition/ disposal		of ent ce/ sitio f es/ sal res, ify	Date of intimatio n to Company	market/ public/ rights/ preferentia I offer/	e on which the trade was executed
d Persons as identified by the Company		Type of Securities (For eg Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement s etc.)	No. and % of share holdin g	Type of Securities (For eg. Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No ·	Valu e	Transactio n Type (Purchase/ sale Pledge / Revocation / Invocation/ Others- please specify)	Type of Securities (For eg Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holdin g	From	То		off market/ Inter-se transfer, ESOPs, etc.)	

Note: (i) "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. (ii) Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

Details of trading in derivatives on the securities of the company by other connected persons as identified by the company

	Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)											
Type of contract	Contract	Ві	uy	S	the trade was							
	specifications	Notional Value	Number of units	Notional Value	Number of units	executed						
			(contracts * lot size)		(contracts * lot size)							

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Date: Signature: Place: Name:

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015Regulation 9(A) read with Schedule B Form E

I			, S/c	o or D/o		
R/o			_,	a Designat	ed Person	(as defined in the CODE)
hereby	disclose the following	g:		J		`
Details	of the Immediate Rela	atives & person wi	th wh	om a materia	al financial re	elationship isshared:
S. No.	Particulars	Name	PAI ava the (Aa Vot Dri ¹ Lic	dhaar,		Securities held / Open Interest of the Future or Options contracts as on the date of appointment / as on March 31,
1	Myself			•		
2	Spouse					
3	Father					
4	Mother					
5	Brother					
6	Sister					
7	Son					
8	Daughter					
9	Spouse's Father					
10	Spouse's Mother					
11	Spouse's Brother					
12	Spouse's Sister					
13	Spouse's Child					
14	Person(s) with whom you share Material Financial Relationship, not in ordinary course					
15	Any Other					
Furthe	r, below are my addities of Educational h graduated		•	d under the F	Regulations:	
	es of Past Employer	s				

<u>Undertaking</u>

_	Pate: Signature: Name:
d)	I hereby undertake that I will keep the Company informed by email at cs.pit@ircon.org / through hard copy about any changes in above-mentioned details till one year post ceasing to be Designated Person (due to transfer / resignation / superannuation / termination etc.).
c)	In case of any change in the above-mentioned information, I shall notify the change to the Compliance Officer.
b)	I shall adhere to the compliance of this CODE and the Regulations; and
a)	I shall preserve the confidentiality and/or prevent the unauthorized disclosure of UPSI;
Ι, _	, nereby confirm that:

REG-I

REGISTER OF APPROVAL OF TRADING PLAN IN SECURITIES AND NOTIFICATION TO STOCK EXCHNAGES

S. No	Name	Designation	Department	Date & time of Receipt of trading plan application	Nature of Transaction	Estimated Number of Securities Indicated in The Application
1	2	3	4	5	6	7

Estimated	Name of the	Date of	Reasons	Number	Date Of	Remarks
Considerati	Immediate Relative	Communication Of	For non	Of	Notification	
on Value	If the Transaction is	the approval/	Approva	Securities	To Stock	
Indicated in	in the name of the	rejection by the	I, If not	Actually	Exchanges	
the	Immediate Relative	Compliance	Cleared	Traded		
application		Officer				
8	9	10	11	12	13	14

REG-II

REGISTER OF PERIODS OF CLOSURE OF TRADING WINDOW

S. No.	notifying closer	Start date of closer of trading window	opening of	which trading	Remarks

REG-III

REGISTER OF PRE-CLEARANCE FOR TRADE IN SECURITIES

S. No	Name	Designation	Department	Date & time of receipt of preclearance application		Estimated number of securities indicated in the application
1	2	3	4	5	6	7

Estimated consideration value indicated in the application	Name of the immediate relative if the transaction is in the name of the immediate relative	communication of the clearance by the		Date of placement before committee	Number of securities actually traded	Remarks
8	9	10	11	12	13	14





इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9(1) के अनुसार

(मई 2023 में अपडेट किया गया)

1. प्रस्तावना :

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए यह आंतरिक आचार संहिता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (इसके संशोधनों सहित) के अनुसार तैयार की गई है। इस कोड को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन" या "कंपनी") की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता कहा जाएगा और ये इस उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है कि कंपनी के अंदरूनी सूत्र कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और कब्जे से कोई लाभ प्राप्त करने में दूसरों की सहायता नहीं करेंगे जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन होता है।

2. परिभाषाः

- 2.1 "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;
- 2.2 "बोर्ड / सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है;
- 2.3 "निदेशक मंडल" का अर्थ है कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय;
- 2.4 "कोड" का अर्थ इस इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता से है, इसमें कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन शामिल हैं;
- **2.5 "कंपनी / इरकॉन"** का अर्थ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है;
- 2.6 "अनुपालन अधिकारी" इस कोड के प्रयोजन के लिए और जो कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन है, अर्थ है कंपनी का पदाभिहित कंपनी सचिव जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है और वित्तीय रूप से साक्षर है। ऐसे मनोनीत कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल कंपनी के किसी अन्य योग्य कंपनी सचिव को पदाभिहित कर सकता है, जो इस कोड के तहत अनुपालन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और वित्तीय रूप से साक्षर होगा;

2.7 "संबद्ध व्यक्ति" का अर्थ है :-

- (i) कोई भी व्यक्ति जो संबंधित कार्य से पहले छह महीने के दौरान किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षमता में, इसके अधिकारियों के साथ लगातार संचार के कारण या किसी संविदात्मक, प्रत्ययी या रोजगार संबंध में होने के कारण या कंपनी का एक निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने के नाते या अपने और कंपनी के बीच एक पेशेवर या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी पद धारण करता है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएसआई तक पहुंच की अनुमित देता है या उचित रूप से इस तरह की अनुमित देने की उम्मीद करता है;
- (ii) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को संबद्ध व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत मंशा स्थापित नहीं किया जाता है: -
 - (a) i) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का तत्काल रिश्तेदार ; या
 - (b) एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी; या
 - (c) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट एक मध्यस्थ या उसका एक कर्मचारी या निदेशक; या
 - (d) एक निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसके कर्मचारी या निदेशक; या
 - (e) स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन गृह या निगम का एक अधिकारी; या
 - (f) म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी; या
 - (g) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का सदस्य या कर्मचारी; या

- (h) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत एक स्व-नियामक संगठन का एक अधिकारी या कर्मचारी ; या
- (i) कंपनी का एक बैंकर; या
- (j) एक फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, व्यक्तियों का संघ या एलएलपी जिसमें कंपनी के एक निदेशक या उसके तत्काल रिश्तेदार या कंपनी के बैंकर के पास होल्डिंग या हित का दस प्रतिशत से अधिक है:
- (k) पेशेवर फर्म जैसे लेखा परीक्षक, लेखा फर्म, कानूनी फर्म, विश्लेषक, दिवाला पेशेवर संस्थाएं, सलाहकार, बैंक आदि, जो कंपनी की सहायता या सलाह दे रहे हैं।

कंपनी के संबद्ध व्यक्ति को इस कोड का उचित संज्ञान माना जाएगा और इस कोड का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संबद्ध व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

2.8 "पदाभिहित व्यक्ति" का अर्थ है:

- (i) प्रवर्तक;
- (ii) प्रवर्तक समूह;
- (iii) कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त सभी निदेशक;
- (iv) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;
- (v) E-8 और उससे ऊपर के स्तर के कार्यकारी अर्थात मुख्य महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी;
- (vi) अधिकारी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच हो सकती है जैसा कि कोड में परिभाषित किया गया है:
 - (a) कंपनी सिचवालय, कॉर्पोरेट वित्त और कराधान और कॉर्पोरेट कार्यालय में आईटी विभाग के सभी अधिकारी, कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी के लिए सभी सिचवीय कर्मचारी।
 - (b) व्यवसाय विकास में ग्रेड E7 (GM) और उससे ऊपर के अधिकारी;
- (vii) महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सीईओ से दो स्तर नीचे के कर्मचारी, यदि कोई हो;
- (viii) कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जिनमें सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, " महत्वपूर्ण सहायक कंपनी " शब्द का अर्थ एक सहायक कंपनी होगा, जिसकी आय या निवल मूल्य सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों की ठीक पिछले लेखा वर्ष में समेकित आय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, ।

2.9 "आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है वह जानकारी जो ऐसी जानकारी जो गैर-भेदभाव के आधार पर जनता के लिए उपलब्ध हो;

नोट: इसका उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि आम तौर पर उपलब्ध जानकारी क्या होती है कि यूपीएसआई क्या है, इसे क्रिस्टलाइज करना और इसकी सराहना करना आसान है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को आमतौर पर सामान्य रूप से उपलब्ध माना जाएगा।

- 2.10 "तत्काल रिश्तेदार " का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, और इसमें माता-पिता शामिल हैं, सहोदर, और ऐसे व्यक्ति या पित या पत्नी के बच्चे, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है:
- 2.11 "इनसाइडर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो:
 - (i) एक संबद्ध व्यक्ति;
 - (ii) यूपीएसआई के अधिकार में या उस तक पहुंच रखने वाले;

(iii) एक "वैध उद्देश्य" के अनुसार यूपीएसआई की प्राप्ति में;

यह माना जाएगा कि कंपनी के अंदरूनी सूत्र को इस संहिता की उचित सूचना है और इस संहिता का पालन सुनिश्चित करना ऐसे अंदरूनी सूत्र की जिम्मेदारी है।

- **2.12 "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/केएमपी"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;
- 2.13 " महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध" का अर्थ एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है जैसे कि पदाभिहित व्यक्ति से ऋण या उपहार के माध्यम से बारह महीनों के दौरान, ऐसे पदाभिहित व्यक्ति की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर लेकिन उन संबंधों को बाहर कर देगा जिनमें भुगतान आर्म्स लेंथ लेनदेन पर आधारित है:
- **2.14 "प्रमोटर"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 या इसके किसी भी संशोधन के तहत;
- 2.15 "प्रमोटर समूह" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 या इसके किसी भी संशोधन के तहत;
- **2.16 "विनियम"** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और इसमें कोई संशोधन:
- **2.17 "प्रतिभूति"** का अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके किसी भी संशोधन के तहत:
- 2.18 "ट्रेडिंग" का अर्थ है और इसमें सदस्यता लेना, रिडीम करना, खिच करना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना या सहमत होना शामिल है किसी भी प्रतिभूति में सदस्यता लेने, रिडीम करने, स्विच करने, खरीदने, बेचने, डील करने के लिए और "ट्रेड" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

नोट: व्यापार में निर्माण / आह्वान / निरसन का गिरवी रखना शामिल होगा। इसके अलावा, सिक्योरिटीज में डीलिंग में डायरेक्ट डीलिंग, फॉरवर्ड या समान डीलिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रूट के माध्यम से, पदाभिहित व्यक्ति द्वारा या तत्काल रिश्तेदारों के माध्यम से डीलिंग शामिल है।

- 2.19 "ट्रेडिंग डे" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज खुले होते हैं ट्रेडिंग के लिए;
- 2.20 "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना / यूपीएसआई" का अर्थ है, कोई भी जानकारी एक कंपनी या इसकी प्रतिभूतियां से संबंधित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर, प्रतिभूतियों की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना होती है और इसमें आमतौर पर निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल होती है, लेकिन यह सीमित नहीं होती है:
 - (i) वित्तीय परिणाम:
 - **(ii)** लाभांश;
 - (iii) पूंजी संरचना में परिवर्तन;
 - (iv) विलय, डी-मर्जर, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यापार का विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन;
 - (v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन;

नोट: यह इरादा है कि कंपनी या प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं है, यूपीएसआई होगी यदि सार्वजनिक डोमेन में आने पर कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना है। यूपीएसआई को सामान्य रूप से उत्पन्न करने वाले मामलों के प्रकारों को यूपीएसआई के उदाहरणात्मक मार्गदर्शन के लिए ऊपर सूचीबद्ध किया गया है।

3. व्याख्याः

- (i) इस संहिता में प्रयुक्त लेकिन यहां परिभाषित नहीं की गई सभी शर्तों का अर्थ विनियम, अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसा भी मामला हो;
- (ii) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे;
- (iii) एक लिंग के सन्दर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे;
- (iv) अनुक्रमणिका और यहां दिए गए शीर्षक इस कोड के निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगे;
- (v) यहां किसी भी अधिनियमन के संदर्भ को फिर से अधिनियमित, संशोधित या विस्तारित के रूप में ऐसी अधिनियमन के संदर्भ में शामिल माना जाएगा।
- (vi) "सहित", "शामिल" या किसी भी समान अभिव्यक्ति द्वारा पेश किए गए किसी भी वाक्यांश को उदाहरण के रूप में माना जाएगा और उन शब्दों से पहले के शब्दों के अर्थ को सीमित नहीं करेगा।
- (vii) परिशिष्ट और प्रपत्र इस कोड का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं।

4. अंदरूनी लोगों द्वारा संचार और व्यापार पर प्रतिबंध

4.1 यूपीएसआई का संचार या प्राप्ति

- 1) कोई भी अंदरूनी सूत्र किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी यूपीएसआई से संबंधित किसी भी यूपीएसआई तक पहुंच की अनुमित नहीं देगा, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्व निर्वहन के लिए है।
- वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित यूपीएसआई के किसी भी अंदरूनी सूत्र से संचार प्राप्त नहीं करेगा या नहीं करेगा।
- 3) कंपनी का कोई भी विभाग, जो किसी मध्यस्थ/प्रत्ययी को नियुक्त कर रहा है, को **फॉर्म ए** में एक अंडरटेकिंग लेनी होगी और उसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस के रूप में माना जा सकता है।

4.2 संरचना डिजिटल डेटाबेस

- सभी अंदरूनी लोगों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता, जहां पैन उपलब्ध नहीं है, जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है, सिहत व्यक्तियों/संस्थाओं का विवरण तुरंत अनुपालन अधिकारी को प्रदान किया जाता है ताकि सेबी अंतरंग व्यापार विनियमों के तहत आवश्यक संरचित डिजिटल डेटाबेस का रखरखाव सक्षम किया जा सके।
- 2) कंपनी के अनुपालन अधिकारी, अंदरूनी सूत्र या उसके द्वारा सीधे अन्य अंदरूनी लोगों के साथ साझा किए गए ऐसे यूपीएसआई की जानकारी प्राप्त होने पर, यूपीएसआई की प्रकृति और अंदरूनी सूत्रों के नाम और अन्य विवरण वाले एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखेंगे जिन्होंने साझा किया है जानकारी और अन्य अंदरूनी सूत्र जिनके साथ जानकारी साझा की जाती है।
- 3) इस तरह के डेटाबेस को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और डेटाबेस के गैर-छेड़छाड़ को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच जैसे टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल्स के साथ आंतरिक रूप से बनाए रखा जाएगा। इस तरह के डेटाबेस को प्रासंगिक लेनदेन के पूरा होने के बाद कम से कम आठ साल की अविध

के लिए संरक्षित किया जाएगा और किसी भी जांच या प्रवर्तन कार्यवाही के संबंध में सेबी से कोई जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में, संरचित डिजिटल डेटाबेस में संबंधित जानकारी को ऐसी कार्यवाही पूरी होने तक संरक्षित रखा जाएगा।

4.3 यूपीएसआई के कब्जे में होने पर ट्रेडिंग

1) विनियमों के प्रावधानों के अधीन, कोई भी अंदरूनी सूत्र यूपीएसआई के कब्जे में होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा जो सूचीबद्ध हैं या किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं।

स्पष्टीकरण: जब एक व्यक्ति जिसने प्रतिभूतियों में व्यापार किया है, उसके पास यूपीएसआई है, तो उसके व्यापार को उसके कब्जे में ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।

2) कनेक्टेड व्यक्तियों के मामले में, यह स्थापित करने का दायित्व कि वे यूपीएसआई के कब्जे में नहीं थे, ऐसे कनेक्टेड व्यक्तियों पर होगा और अन्य मामलों में, सेबी पर होगा।

5. ट्रेडिंग योजनाएँ

- 5.1 एक अंदरूनी सूत्र एक व्यापार योजना तैयार करने और अनुपालन अधिकारी को अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसके अनुसार ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से व्यापार किया जा सकता है।
- 5.2 ऐसी ट्रेडिंग योजना होगी: -
 - 1. योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले अंदरूनी सूत्र की ओर से ट्रेडिंग शुरू करने की आवश्यकता नहीं है:
 - 2. किसी भी वित्तीय अविध के अंतिम दिन से पहले बीसवें ट्रेडिंग दिवस के बीच की अविध के लिए ट्रेडिंग शामिल नहीं है, जिसके लिए सिक्योरिटीज के जारीकर्ता द्वारा परिणामों की घोषणा की जानी आवश्यक है और इस तरह के वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद दूसरा ट्रेडिंग डे;
 - 3. कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए व्यापार करना;
 - किसी भी अविध का ओवरलैप नहीं होना चाहिए जिसके लिए एक और व्यापार योजना पहले से ही अस्तित्व में है;
 - 5. या तो प्रभावित होने वाले ट्रेडों का मूल्य या ट्रेड की प्रकृति के साथ ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या और अंतराल, या उस तारीख को निर्धारित करें जिस पर ऐसे ट्रेडों को प्रभावित किया जाएगा; और
 - **6.** बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार करना आवश्यक नहीं है।
- 5.3 ट्रेडिंग योजना विनियमों के अनुसार होगी और ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन **फॉर्म।** में दिया जाएगा।
- 5.4 अनुपालन अधिकारी यह आकलन करने के लिए व्यापार योजना की समीक्षा करेगा कि क्या योजना में इस संहिता/विनियमों के उल्लंघन की कोई संभावना होगी और इस तरह के व्यक्त उपक्रमों की मांग करने का हकदार होगा जो इस तरह के मूल्यांकन को सक्षम करने और कार्यान्वयन को मंजूरी देने और निगरानी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी व्यापार योजना आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

बशर्ते कि अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार के लिए व्यापार की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

- बशर्ते आगे कि ट्रेडिंग विंडो मानदंड और कॉन्ट्रा ट्रेड पर प्रतिबंध अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों के लिए लागू नहीं होंगे।
- 5.5 स्वीकृत व्यापार योजना अपरिवर्तनीय होगी और अंदरूनी सूत्र को अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा, इसके बिना या तो इससे विचलित होने या व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा।
 - बशर्ते कि व्यापार योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जाएगा यदि योजना के निर्माण के समय अंदरूनी सूत्र/पदाभिहित व्यक्ति के कब्जे में कोई यूपीएसआई कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस तरह के यूपीएसआई के आम तौर पर उपलब्ध होने के बाद अड़तालीस घंटे की समाप्ति तक ट्रेडिंग योजना की शुरुआत को टाल दिया जाएगा।
- 5.6 ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना का पत्र **फॉर्म ॥** में है ।
- 5.7 ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन पर, अनुपालन अधिकारी उस स्टॉक एक्सचेंज को योजना की सूचना देगा, जिस पर प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं।
- 5.8 ऐसे इनसाइडर को **फॉर्म III** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार ट्रेडिंग प्लान के तहत सूचित प्रत्येक लेनदेन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर ट्रेडिंग प्लान के निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।
- 5.9 अनुपालन अधिकारी **आरईजी।** में दिए गए अंदरूनी सूत्रों द्वारा प्रतिभूतियों की व्यापार योजना और स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचना का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।
- 5.10 अनुपालन अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के निकट संबंधियों की व्यापार योजना के मामले में, अनुपालन अधिकारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उसके संबंध में व्यापार योजना प्रस्तुत करेगा। इस खंड 5 के शेष प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर लागू *होंगे।*

6. ट्रेडिंग विंडो

- 6.1 ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर इरकॉन के पदाभिहित व्यक्ति या उनके तत्काल रिश्तेदार इरकॉन की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे। ट्रेडिंग विंडो तब बंद हो जाएगी जब अनुपालन अधिकारी का विचार होगा कि एक पदाभिहित व्यक्ति या पदाभिहित व्यक्तियों के वर्ग से उचित रूप से यूपीएसआई रखने की उम्मीद की जा सकती है।
- 6.2 वित्तीय परिणामों के मामले में, प्रत्येक तिमाही के अंत से ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाएगी। वित्तीय परिणामों के अलावा अन्य मामलों में, ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी जैसा कि अनुपालन अधिकारी द्वारा तय किया गया है और ट्रेडिंग विंडो को फिर से खोलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा यूपीएसआई सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। उपलब्ध है और बाजार द्वारा आत्मसात करने में सक्षम है, जो किसी भी सूरत में सूचना के आम तौर पर उपलब्ध होने के 48 घंटे से पहले नहीं होगा।
- 6.3 ऊपर उल्लिखित ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे:
 - 1. विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के परंतुक के खंड (i) से (iv) और (vi) में निर्दिष्ट लेन-देन या विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के तहत अनुमित दी गई है और शेयरों की गिरवी के संबंध में वास्तविक उद्देश्य जैसे धन जुटाना, अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी और सेबी द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुपालन के अधीन;
 - 2. लेन-देन जो सेबी द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार किए जाते हैं जैसे कि वारंट या डिबेंचर के रूपांतरण द्वारा अधिग्रहण, राइट्स इश्यू की सदस्यता, सार्वजनिक निर्गम, अधिमान्य आवंटन या बाय-बैक ऑफर में शेयरों

की निविदा, ओपन ऑफर, डीलिस्टिंग ऑफर या लेन-देन जो ऐसे अन्य तंत्र के माध्यम से किए जाते हैं जो समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

- 3. स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार ट्रेड करता है।
- 6.4 एक वित्तीय वर्ष के शेष दिन जब ट्रेडिंग विंडो बंद नहीं होती है तो उसे "वैध ट्रेडिंग विंडो" कहा जाएगा।
- 6.5 सभी पदाभिहित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना व्यापार केवल ऊपर वर्णित "वैध ट्रेडिंग विंडो" अविध में करेंगे और तत्काल पिछले लेनदेन के बाद के छह महीनों के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में "कॉन्ट्रा ट्रेड" अर्थात विपरीत या विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे। । अनुपालन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इस तरह के प्रतिबंध के सख्त आवेदन से छूट देने का अधिकार है, बशर्ते कि इस तरह की छूट इन संहिता/विनियमों का उल्लंघन न करती हो। क्या किसी कॉन्ट्रा ट्रेड को अनजाने में या अन्यथा, इस तरह के प्रतिबंध के उल्लंघन में निष्पादित किया जाना चाहिए, इस तरह के ट्रेड से होने वाले मुनाफे को अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में क्रेडिट के लिए सेबी को प्रेषण के लिए अलग किया जा सकता है। .
- 6.6 अनुपालन अधिकारी "बंद व्यापार की अवधि" का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, वह ट्रेडिंग विंडो के बंद होने और खुलने की तारीख और यदि कोई हो, जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है, दर्ज करेगा। ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि के रजिस्टर का एक प्रोफार्मा REG II में दिया गया है।

7. ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी

- 7.1 वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान, एक निर्दिष्ट व्यक्ति, जो कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने का इरादा रखता है, 25,000 की संख्या की प्रतिभूतियों की न्यूनतम सीमा से ऊपर व्यापार करना चाहता है, चाहे एक लेनदेन में या किसी कैलेंडर माह में लेनदेन की एक श्रृंखला में, यहां वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लेनदेन की निकासी पूर्व प्राप्त होगा।
- 7.2 **फॉर्म IV** में वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान ही पूर्व-मंजूरी के लिए वचनबद्धता के साथ आवेदन किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान जमा किया गया आवेदन अमान्य होगा।
- 7.3 कोई भी पदाभिहित व्यक्ति किसी भी प्रस्तावित व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, यदि ऐसे पदाभिहित व्यक्ति के पास यूपीएसआई है, भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद न हो।
- 7.4 अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना का पत्र **फॉर्म ॥** में है।
- 7.5 पूर्व-मंजूरी आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत, अनुपालन अधिकारी पूर्व-मंजूरी आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-मंजूरी आवेदन और इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में के अनुसार है, अनुपालन अधिकारी करेगा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से दो ट्रेडिंग दिनों के बाद तुरंत लेकिन बाद में पूर्व-मंजूरी की सूचना देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी पूर्व-मंजूरी की प्रक्रिया करेगा।
- 7.6 अनुपालन अधिकारी प्रतिभूतियों की पूर्व-मंजूरी का एक रजिस्टर आरईजी III बनाए रखेगा ।
- 7.7 पदाभिहित व्यक्ति, सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर, प्री-क्लीयरेंस के बाद ट्रेड निष्पादित करेगा। यदि पूर्व-मंजूरी दिए जाने के बाद सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर व्यापार निष्पादित नहीं किया जाता है, तो पदाभिहित व्यक्ति को नई पूर्व-मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इस तरह के पदाभिहित व्यक्ति को **फॉर्म III** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूर्व-अनुमोदित लेनदेन के निष्पादन / गैर-निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।
- 7.8 कंपनी की प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन के लिए अनुपालन अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा दर्ज किए जाने के लिए, अनुपालन अधिकारी को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से संबंधित पूर्व-मंजूरी

लेनी होगी। इस खंड ७ के शेष प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सिहत अनुपालन अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर लागू *होंगे।*

8. अंदरूनी सूत्रों द्वारा व्यापार का प्रकटीकरण

8.1 सामान्य प्रावधान

1. इस कोड के तहत पदाभिहित व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/अंतरंग द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में ऐसे व्यक्ति के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार से संबंधित और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण शामिल होंगे जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापार निर्णय लेता है।

8.2 प्रारंभिक प्रकटीकरण

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर या प्रमोटर या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति की तिथि या प्रमोटर या प्रमोटर के सदस्य बनने की तिथि के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी होल्डिंग का खुलासा करेगाकंपनी को इस तरह की नियुक्ति या प्रमोटर बनने या प्रमोटर ग्रुप का सदस्य बनने के सात दिनों के भीतर **फॉर्म बी** में।

8.3 लगातार प्रकटीकरण

- 1. प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, पदाभिहित व्यक्ति और कंपनी के निदेशक कंपनी को इस तरह के लेन-देन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्राप्त या निपटान की गई ऐसी प्रतिभूतियों की संख्या का खुलासा करेंगे, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य, चाहे एक लेनदेन में हो या किसी भी कैलेंडर तिमाही में लेन-देन की एक शृंखला, दस लाख रुपये से अधिक के ट्रेडेड मूल्य के लिए एकत्रित होती है या इस तरह के अन्य मूल्य के रूप में अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर फॉर्म सी में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 2. कंपनी इस तरह के व्यापार के विवरणों को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं प्रकटीकरण की प्राप्ति के या ऐसी जानकारी से अवगत होने से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर ।

स्पष्टीकरण - यह स्पष्ट किया जाता है कि संदेह से बचने के लिए इस खंड के तहत किसी भी प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का खुलासा तब किया जाएगा जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेनदेन ऊपर निर्दिष्ट सीमा को पार कर जाएंगे।

8.4 अन्य खुलासे

1. विनियम के विनियम 3 के उल्लंघन के बिना एक ही यूपीएसआई के कब्जे वाले अंतरंगियों के बीच ऑफ-मार्केट इंटर-से हस्तांतरण में प्रितिभूतियों के लेनदेन के मामले में और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था, जैसे अंदरूनी सूत्रों द्वारा ऑफ-मार्केट ट्रेडों को दो कार्य दिवसों के भीतर अनुपालन अधिकारी को सूचित किया जाएगा। कंपनी इस तरह के ट्रेडों के विवरणों को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी, जिस पर प्रितिभूतियां सूचीबद्ध हैं प्रकटीकरण की प्राप्ति से या ऐसी जानकारी से अवगत होने से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर ।

बशर्ते कि ऐसा यूपीएसआई विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त नहीं किया गया हो।

2. अन्य जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण: अन्य जुड़ा हुआ व्यक्ति या वर्ग संबंधित व्यक्तियों को फॉर्म डी में कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग और/या ट्रेडिंग का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है, और अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवृत्ति पर।

8.5 नियुक्ति/वार्षिक आधार/सूचना में परिवर्तन पर प्रकटीकरण :

- 1. पदाभिहित व्यक्ति **फॉर्म ई** (वचन सहित) में अपनी शेयरधारिता, नाम और पैन या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता (आधार , वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों का खुलासा करेंगे, यदि पैन प्राप्त नहीं किया गया है कंपनी नियुक्ति/वार्षिक आधार पर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या सूचना में परिवर्तन होने पर:
 - a) सगे संबंधी;
 - b) वे व्यक्ति जिनके साथ पदाभिहित व्यक्ति महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करता है ;
 - c) उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ़ोन, मोबाइल और सेल नंबर;

इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के नाम जिनसे पदाभिहित व्यक्तियों ने स्नातक किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नामों का भी एक बार के आधार पर खुलासा किया जाएगा।

9. विविध

- 9.1 अनुपालन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा:
 - कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के तहत नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रखरखाव, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी, ट्रेडों की निगरानी और कोड के कार्यान्वयन का अनुपालन।
 - 2. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा सिमिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पदािभिहित व्यक्तियों द्वारा लेनदेन का विवरण प्रदान करना या किसी व्यापार योजना की मंजूरी, व्यापार की पूर्व-मंजूरी आदि और निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा सिमित इस संहिता के अनुपालन की सिमीक्षा करेगी।
 - 3. इस संहिता और विनियमों के समुचित अनुपालन के हित में आवश्यक ऐसे अन्य उपाय करना।
 - 4. जब तक अन्यथा व्यक्त न किया जाए, इस संहिता के तहत किए गए प्रकटीकरण के रिकॉर्ड का रखरखाव 5 वर्ष की अविध के लिए होगा।
 - अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, अनुपालन अधिकारी के पास प्रतिभूतियों से संबंधित सभी सूचनाओं और दस्तावेजों या अनुपालन अधिकारी द्वारा इस कोड और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी तक पहुंच होगी। सभी मनोनीत व्यक्ति/अंतरंग व्यक्ति इस संबंध में अनुपालन अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे।
- 9.2 पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने का दायित्व, ट्रेडिंग योजना, निष्पादित/निष्पादित ट्रेड पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान व्यापार पर प्रतिबंध, कॉन्ट्रा-ट्रेड पर प्रतिबंध न केवल पदाभिहित व्यक्ति के स्टैंडअलोन व्यापार पर लागू होता है, बल्कि इसके द्वारा किए गए सभी ट्रेडों पर भी लागू होता है। कोड और विनियमों के प्रयोजन के लिए तत्काल रिश्तेदार, सामूहिक रूप से समेकित आधार पर व्यापार की एक और समान श्रृंखला के रूप में माने जाते हैं।

9.3 मध्यवर्ती संस्थाएँ / प्रत्ययी के लिए आचार संहिता

1. निदेशक मंडल या प्रत्येक मध्यस्थ / प्रत्ययी के संगठन के प्रमुख अपने पदाभिहित व्यक्तियों और पदाभिहित व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए जैसा कि निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को अपनाते हुए एक आचार संहिता तैयार करेंगे।

9.4 कोड के उल्लंघन के लिए जुर्माना

1. कोई भी पदाभिहित व्यक्ति, जो इस कोड के उल्लंघन में कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, या किसी यूपीएसआई को सूचित करता है, को दंडित किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों (सीडीए) के तहत परिभाषित उचित कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई (जिसमें वेतन फ्रीज, निलंबन, वसूली, क्लॉबैक शामिल हो सकते हैं) के अधीन भी होंगे।

कोड और विनियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत स्टॉक एक्सचेंज (एस) को सूचित की जाएगी जहां संबंधित प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है।

संहिता और/या विनियमों के उल्लंघन के मामले में, पदाभिहित व्यक्ति/अंदरूनी लोगों पर निम्नलिखित दंड लगाया जाएगा:

क्र.सं.	उल्लंघन	दंड*
1.	ट्रेडिंग विंडो बंद रहने पर इरकॉन की	रु. 5,000/- प्रति अवसर
	प्रतिभूतियों में या तो पदाभिहित	
	व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति के नाम पर या उनके	
	तत्काल रिश्तेदार के नाम पर ट्रेडिंग।	
2.	कॉन्ट्रा ट्रेड में प्रवेश करने के मामले में	रु. 5,000/- प्रति अवसर
3.	कंपनी द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के	रु.2,000/-
	अनुसार सॉफ्टवेयर पर डेटा को अपडेट न	
	करना	

^{*} पदाभिहित व्यक्ति / इनसाइडर द्वारा उल्लंघन के किसी भी उदाहरण के मामले में, दंड की राशि पदाभिहित व्यक्ति के वेतन/बकाया बिलों से काटी जाएगी और सेबी के निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (IPEF A/c) में जमा किए जाएं।

- 2. अनुपालन अधिकारी आईपीईएफ खाते में जुर्माने की राशि जमा करने से पहले लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष संहिता/विनियमों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन को रखेगा।
- 3. लेखा-परीक्षा समिति छूट की सिफारिश कर सकती है, और/या निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेक से, यदि मामले के गुण-दोष के आधार पर उचित समझा जाता है, उपर्युक्त दंड/किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई में छूट दे सकता है।

9.5 सेबी की शक्ति

1. नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनी की कार्रवाई सेबी और अन्य अधिकारियों को कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी। यदि विनियम या कोई वैधानिक प्रावधान कोड में निहित की तुलना में अधिक कठोर हैं, तो विनियम/सांविधिक प्रावधान प्रबल होंगे।

9.6 स्पष्टीकरण और संशोधन

- 1. इस संहिता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए, पदाभिहित व्यक्ति/अंतरंग कृपया अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- 2. यदि इस संहिता का कोई प्रावधान (ओं) संशोधनों या अन्यथा के कारण विनियमों के प्रावधानों के विपरीत या असंगत है, तो विनियम प्रबल होंगे।

3. अनुपालन अधिकारी के पास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से इस कोड में संशोधन और संशोधन करने का अधिकार होगा, बशर्ते कोड में ऐसा कोई भी संशोधन या संशोधन विनियमों के अनुपालन में वैधानिक रूप से आवश्यक हो और निदेशक मंडल के समक्ष तत्काल अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।।

9.7 डेटा का डिजिटलीकरण

- 1. कंपनी ने डेटा और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एक वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर प्रदान और कार्यान्वित किया है, जो कि पदाभिहित व्यक्तियों / अंदरूनी लोगों के लिए और कंपनी द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसा कि विनियमों / कोड में प्रदान किया गया है, जिसमें वचन, निरंतर / वार्षिक प्रकटीकरण, व्यापार योजना का अनुमोदन आदि जमा करना शामिल है। वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ, कोड में संलग्न फ़ॉर्म, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर में प्रदान किए गए फ़ॉर्म, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड के समान प्रारूप में बदल दिए जाते हैं।
- 2. कंपनी मौजूदा वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर में संशोधन करने या उसी तरह के किसी अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ बदलने या अंदरूनी/पदाभिहित व्यक्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए अपना स्वयं का सॉफ़्टवेयर विकसित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अंदरूनी/पदाभिहित व्यक्ति वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर के माध्यम से अनुमोदन लेने और प्रकटीकरण आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन और अनुपालन करेंगे।

अस्वीकरण

यह संहिता केवल आंतरिक आचार संहिता है और अंदरूनी व्यापार से बचने के उपायों में से एक है। प्रत्येक जुड़े हुए व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह खुद को विनियमों से परिचित कराए क्योंकि यह इस संहिता, विनियमों और अन्य संबंधित विधियों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति (और उसके निकट संबंधियों) की जिम्मेदारी होगी।

-----XXXXX ------

[इस कोड को 'हिन्दी' में अंतिम रूप देने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है। परन्तु ,'अंग्रेजी' और 'हिंदी' भाषाओं में किसी भी विसंगति के मामले में, 'अंग्रेजी' में उल्लिखित को अंतिम माना जाएगा।]

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं का कोड ("उचित प्रकटीकरण कोड")

{सेबी के विनियम 8(1) के अनुसार (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015}

निरीक्षण और समन्वय प्रकटीकरण :

कार्यकारी निदेशक की अनुपस्थिति में वित्त विभाग में कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी होगा। वह / वह इस उचित प्रकटीकरण कोड के अनुसार यूपीएसआई के समय पर और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि विनियमों के तहत आवश्यक है।

निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों, विश्लेषकों, शेयरधारकों को यूपीएसआई के प्रकटीकरण की देखरेख और समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। वह स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रदर्शित सूचनाओं के अनुरूप मीडिया को जारी की गई सूचनाओं की पुनरीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

सूचना प्रकटीकरण/प्रसार को निदेशक (वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। यदि पूर्वानुमोदन के बिना गलती से जानकारी का खुलासा हो जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को तुरंत सूचित कर सकता है, भले ही जानकारी को मूल्य संवेदनशील नहीं माना जाता हो।

2. बाजार की अफवाहों का जवाब :

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी एक्सचेंजों द्वारा बाजार की अफवाहों के सत्यापन के लिए किसी भी प्रश्न या अनुरोध का जवाब देंगे।

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार होगा, यदि आवश्यक समझा जाए, तो अफवाहों को सत्यापित करने या अस्वीकार करने और उसके बाद उपयुक्त बनाने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता है। खुलासे।

3. शेयरहोल्डिंग/स्वामित्व और स्वामित्व में परिवर्तन की समय पर रिपोर्टिंग :

अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और/या प्रतिभूतियों के तहत बनाए गए किसी भी भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, नियम/विनियमों के तहत प्रमुख शेयरधारकों की शेयरधारिता/स्वामित्व का प्रकटीकरण और स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण आवश्यक है। अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

4. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों के विशेष संदर्भ में यूपीएसआई का प्रकटीकरण/प्रसार:

निदेशकों के अलावा, कोई भी व्यक्ति, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा प्राधिकृत लोगों के अलावा, कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी जानकारी को विश्लेषकों /अनुसंधान व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को प्रकट नहीं करेगा। निदेशक यूपीएसआई के संचालन में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को शामिल करेंगे।

कंपनी के पदाभिहित व्यक्तियों और निदेशकों के अलावा सभी अधिकारियों को विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ व्यवहार करते समय नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करना:

निदेशक (वित्त) द्वारा अधिकृत निदेशक/अन्य अधिकारी विश्लेषकों /अनुसंधान व्यक्तियों/बड़े निवेशकों जैसे संस्थानों को केवल सार्वजिनक सूचना प्रदान करेंगे। यदि गैर-सार्वजिनक जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव है, तो ऐसा करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी से अग्रिम रूप से परामर्श करने के बाद जानकारी प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्लेषक/शोधकर्ता/निवेशक को प्रदान की गई जानकारी को जल्द से जल्द सार्वजिनक किया जाए।

अप्रत्याशित प्रश्नों से निपटना :

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को अप्रत्याशित प्रश्नों से सावधानी से निपटना चाहिए। अप्रत्याशित प्रश्नों को नोट किया जा सकता है और बाद में निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से सुविचारित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। यदि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए यूपीएसआई के प्रसार की आवश्यकता है, तो मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी सूचना देंगे और प्रेस के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों/सार्वजिनक घोषणा में इसके प्रसार के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी उपरोक्त यूपीएसआई के प्रसार के बाद ऐसे अप्रत्याशित प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

निदेशकों/कर्मचारियों को विश्लेषकों के उन सवालों से निपटने में अत्यधिक सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए जो चर्चा के दायरे से बाहर के मुद्दों को उठाते हैं।

चर्चा की रिकॉर्डिंग:

सभी विश्लेषक, दलाल या संस्थागत निवेशक बैठकों में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी और कंपनी के एक अन्य विरष्ठ कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा भाग लिया जाएगा, जैसा कि निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान सभी चर्चाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रतिलेख "निवेशक" पृष्ठ के तहत वेबसाइट पर रखा जाएगा।

सूचना का एक साथ जारी होना:

जब भी मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निवेश विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकों का आयोजन करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद कंपनी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी या अपनी वेबसाइट पर प्रासंगिक जानकारी पोस्ट करेगी। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाने वाली जानकारी के पाठ की पुनरीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र:

अंतरंग व्यापार को रोकने के लिए इन विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगा।

6. यूपीएसआई के किसी भी लीक की रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर तंत्र:

यदि किसी कर्मचारी को यूपीएसआई के लीक होने का संदेह है, तो वह तुरंत व्हिसल बजाकर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को या असाधारण मामलों में यानी ई-9 ग्रेड के अधिकारी के खिलाफ शिकायत के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति को एक ईमेल या सीलबंद लिफाफे द्वारा संबोधित कर सकता है।

यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक होने के मामले में, कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति में उल्लिखित नीतियों/प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

इसके अलावा, कंपनी ऐसे लीक, पूछताछ और ऐसी पूछताछ के परिणामों के बारे में सेबी को तुरंत सूचित करेगी।

इसके अलावा, प्रासंगिक मध्यस्थ / प्रत्ययी, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा की गई ऐसी जांच के संबंध में कंपनी के साथ सहयोग करेंगे।

7. "वैध उद्देश्य" के निर्धारण के लिए नीति

वैध उद्देश्य का अर्थ

इस नीति में, "वैध उद्देश्य" शब्द में आम तौर पर कोई भी उद्देश्य शामिल होगा जिसके लिए यूपीएसआई को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में या कंपनी के हित में या कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन में साझा किया गया है, में किसी भी असाइनमेंट के लिए यूपीएसआई को साझा करने सिहत अन्य बातों के साथ-साथ जानने की आवश्यकता के आधार पर किसी प्रस्तावित के संबंध में कंपनी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाना असाइनमेंट या पेशेवर सेवाओं या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए।

एक अंदरूनी सूत्र द्वारा यूपीएसआई को साझा करना "वैध उद्देश्य" के लिए माना जाएगा यदि यह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है जिसमें शामिल हैं:

- यूपीएसआई को सख्ती से 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया जाएगा;
- यूपीएसआई की इस तरह की साझेदारी व्यापार के सामान्य क्रम में होगी जैसे कि कर्तव्यों का प्रदर्शन, कानूनी दायित्वों का निर्वहन, भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवाला पेशेवरों या अन्य सलाहकारों के साथ या सलाहकार, बशर्ते कि विनियमों और संहिता के निषेधों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए ऐसा साझाकरण नहीं किया गया हो;
- अंदरूनी सूत्र केवल कंपनी के हित में और/या विनियमों सिहत कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन में यूपीएसआई को बाहरी एजेंसियों के साथ साझा करेगा;
- वैंध उद्देश्य के लिए यूपीएसआई प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को "इनसाइडर" माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया जाएगा;
- सभी अंदरूनी लोग उन व्यक्तियों के साथ गैर-प्रकटीकरण या गोपनीयता समझौते सुनिश्चित करेंगे जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है और ऐसे यूपीएसआई के संबंध में ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारियां और शामिल देनदारियां अगर ऐसा व्यक्ति कोड के उल्लंघन में ऐसे यूपीएसआई का दुरुपयोग या उपयोग करता है।

8. प्रकटीकरण/प्रसार का माध्यम:

निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी सभी यूपीएसआई को निरंतर और समयबद्ध तरीके से उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करेगा जहां इसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और उसके बाद प्रेस को।

एक अच्छे कॉर्पोरेट अभ्यास के रूप में, यूपीएसआई को स्टॉक एक्सचेंजों और प्रेस के सामने प्रकट किया जाता है, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर त्वरित अपडेट द्वारा पूरक भी किया जा सकता है। कंपनी यूपीएसआई के सार्वजनिक प्रकटीकरण के अन्य तरीकों पर भी विचार कर सकती है ताकि उस तक निवेशकों की पहुंच में सुधार हो सके।

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी कंपनी की वेबसाइट: www.Ircon.org के पूरक के लिए एक साथ जनसंपर्क समूह को प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति चिह्नित करेगा।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर की गई जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

फार्म-।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए व्यापार योजना के लिए आवेदन

सेवा में अनुपालन अफ़सर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सी-4, ज़िला केंद्र,साकेत, नया दिल्ली - 110017

प्रिय मैम/ सर,

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आंतरिक आचार संहिता और फेयर डिस्क्लोजर कोड के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग योजना के लिए अनुमोदन चाहता हूँ:

पूरा ना	म:			पैन सं.:	
विभाग या अंदरून संबंध अ	व्यक्ति - पदनाम, और कर्मचारी कोड: गी सूत्र - कंपनी के साथ गैर मध्यस्थ / प्रत्ययी का			 ईमेलः	
नाम: *ट्रेडिंग पता (क	योजना की अवधि: गर्यालय):			केएमपी: Y/N पता (नि .):	
सं.	धारित प्रतिभूतियों/मतत् और%(निम्न संबंधी के आवेत	रूप में दिनांक पर	फोलियो स.। /डी पी पहचान & ग्राहक पहचान	प्रकृति का नया लेन- देन जिसके लिए स्वीकृति है मांग की	विशिष्ट ट्रेडों की तिथियां/अंतराल/ तारीख आवंटन का
1	2		3	4	5

अनुमानित की संख्या	प्रत्येक दिनांक/अंतराल	क्या प्रस्तावित लेन-देन है	नाम और पैन	पूर्व अनुमोदन और
प्रतिभूतियां/से प्रत्येक तिथि /	के लिए अनुमानित कुल	स्व-नाम के तहत या	तत्काल रिश्तेदार	दिनांक क्रय/आवंटन के
अंतराल के लिए निपटाया	प्रतिफल मूल्य	तत्काल रिश्तेदार द्वारा	का, अगर लेन-देन	संबंध में
जाएगा	(नवीनतम उपलब्ध		बना सगे संबंधी	
·	वर्तमान बाजार मूल्य के		द्वारा	
	अनुसार)।			
6	7	8	9	10

वचन

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा से पृष्टि और घोषणा करता हूं:

- a) कि मेरे पास वचन पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई यूपीएसआई नहीं है और/या मुझे कोई यूपीएसआई प्राप्त नहीं हुआ है;
- b) कि एक बार स्वीकृत व्यापार योजना अपरिवर्तनीय होगी और मैं अनिवार्य रूप से योजना को लागू करूंगा, बिना या तो इससे विचलित होने या व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने के लिए;
- के ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जाएगा, यिद योजना के निर्माण के समय मेरे कब्जे में कोई यूपीएसआई, व्यापार योजना के किसी भी हिस्से के कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय आम तौर पर उपलब्ध नहीं हुआ है;
- d) कि मैंने समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित कोड, निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है/नहीं करूंगा;
- e) मैं ट्रेंडिंग योजना के तहत अनुमोदित प्रत्येक लेनदेन के दो ट्रेंडिंग दिनों के भीतर ट्रेंडिंग योजना के निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा।
- f) कि मुझे पता है कि, उपरोक्त घोषणाओं को किसी भी समय भ्रामक या गलत पाए जाने पर कंपनी के कोड के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कोड में निर्धारित दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।
- g) कि मैंने एतदद्वारा इस मामले में पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण किया है।

स्थानः हस्ताक्षरः तारीखः नामः

कार्यालय उपयोगार्थ आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

<u>फार्म ॥</u> ट्रेडिंग योजना की अनुमोदन /पूर्व-मंजूरी की सूचना का पत्र

पूरा नाम और कर्मचारी कोड	
तत्काल रिश्तेदार, यदि कोई हो	
आवेदन प्राप्त होने की तिथि	
अनुमोदन या अस्वीकृति के संचार की तिथि	

प्रिय महोदय,

अनुमोदन

उसमें विस्तृत प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया सूचित किया जाए कि आप निम्नलिखित के अधीन व्यापार योजना/पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन के लिए आपके उक्त आवेदन में वर्णित लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं।

आपके उक्त आवेदन में आपके द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं, अभ्यावेदनों और वारंटियों के आधार पर आपको यह स्वीकृति जारी की जा रही है।

कृपया ध्यान दें कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ लेन-देन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के उचित प्रकटीकरण कोड के संदर्भ में, उपरोक्त लेनदेन पूर्व के सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। निकासी, पूर्व-निकासी के मामले में। ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन के मामले में, ऐसी योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और आपको अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा, इसके बिना या तो इससे विचलित होने या ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा।

इसके अलावा, आपको लेन-देन/सौदे की तारीख से दो {2} ट्रेडिंग दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में निष्पादित लेनदेन का विवरण दर्ज करना होगा।

पूर्व-मंजूरी के मामले में, उपरोक्त मंजूरी स्वतः वापस ले ली जाती है यदि बाद में ट्रेडिंग विंडो को बंद घोषित कर दिया जाता है जिसमें मंजूरी की अवधि शामिल होती है।

या

अस्वीकार

उसमें वर्णित प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अनुमोदन मांगने वाले आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया सूचित किया जाए कि आप ट्रेडिंग योजना/पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन के लिए आपके उक्त आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार लेन-देन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं:

अस्वीकृति के लिए शर्तें / कारण (यदि कोई हो)	

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

स्थान: तारीख:

अनुपालन अधिकारी / अधिकृत व्यक्ति

प्रपत्र III पूर्व-अनुमोदित/व्यापार योजना लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए प्रारूप (कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार/डीलिंग के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

तारीख:							
सेवा, अनुपालन अफ़ इरकॉन इंटरनेश् सी-4, ज़िला केंद्र नया दिल्ली - 1	ानल लिमिटेड इ,साकेत,						
प्रिय मैम/सर,							
संदर्भः तुम्हारी	अनुमोदन , यि	दे कोई हो, दि	नांकित				
	भापको सूचित कर ज्सी भी प्रतिभूति व		नहीं किया है, (के	वल पूर्व-मंजूरी के मामले में)			
ा नी	चे उल्लिखित प्रति	नेभूतियों में का	रोबार किया है				
ट्रेड निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम और पैन (अकेले / संयुक्त रूप से)	प्रतिभूतियों की संख्या जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, यदि कोई हो	ट्रेडों की तिथि	प्रतिभूतियों का व्यापार	ट्रेडों का प्रकार (जैसे खरीदना/बेचना/सदस्यता लेना)	डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियो	मूल्य (रु)	टिप्पणियों
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
उपरोक्त लेन-दे करने का वचन		3 (तीन) वर्षों व	की अवधि के लिए	र संरक्षित करने और अनुपालन	। अधिकारी/सेबी क	ो सभी संबंधि	त रिकॉर्ड प्रस्तुत
1. द 2. बैं	निम्नलिखित दस्ता लाल/ठेकेदार का क पासबुक/स्टेटग् पुर्दगी निर्देश पर्च	अनुबंध नोट मेंट का उद्धरप	और दलालों को/ ग (डीमैट लेनदेन	से भुगतान का प्रमाण; न के मामले में प्रस्तुत किया जा मले में लागू);	ना है);		
मैं घोषणा करत कथित लेनदेन	ा हूं कि उपरोक्त को प्रभावित करने	जानकारी सह ने के लिए उल्ल	ही है और कंपनी ांघन नहीं किया ग	के कोड और/या लागू कानूनों गया है।	/विनियमों के किसी	भी प्रावधान	का उपरोक्त
आपका अपना,							
हस्ताक्षर: नाम: कर्मचारी संख विभाग / विभा							
जो लागू न हो उ	नो लागू न हो उसे काट दें।						

फार्म-IV

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन

सेवा अनुपालन अफ़सर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सी-4, ज़िला केंद्र,साकेत, नया दिल्ली - 110017

प्रिय मैम/ सर.

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आंतरिक आचार संहिता और फेयर डिस्क्लोजर कोड के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए पूर्व-मंजूरी चाहता हूं:

कोड:	म, विभाग और कर्मचारी		पन नहाः ईमेलः		
केएम	पी: Y/ N				
सं.	आवेदन की तारीख को धारित प्रतिभतियों/वोटिंग	नामित व्यक्तियों/निकट संबंधी द्वारा इस आवेदन की तिथि से छह महीने	फोलियो नंबर / डीपी आईडी	नए ट्रेडों की पकति जिसके	प्रतिभूतियों की अनमानित

	स.	आवदन का ताराख का	नामित व्यक्तिया/निकट संबंधी द्वारा	फालिया नंबर /	नए ट्रंडा का	प्रांतभूतिया का
		धारित प्रतिभूतियों/वोटिंग	इस आवेदन की तिथि से छह महीने	डीपी आईडी	प्रकृति जिसके	अनुमानित
		अधिकारों की संख्या और	पहले किए गए ट्रेडों/सौदों का विवरण	और क्लाइंट	े लिए	संख्या/व्यापार होना
		प्रतिशत (निकट संबंधी के	(दिनांक, संख्या/मूल्य और प्रकार)	आईडी	अनुमोदन	है
L		सहित)	-		मांगा गया है	
	1	2	3	4	5	6
	•				_	

प्रस्तावित व्यापार के लिए अनुमानित कुल प्रतिफल मूल्य (नवीनतम उपलब्ध वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार)	क्या प्रस्तावित लेन- देन है स्व-नाम के तहत या तत्काल रिश्तेदार द्वारा	नाम और पैन तत्काल रिश्तेदार की, अगर लेन-देन बनाया जाना है सगे संबंधी द्वारा	प्रस्तावित व्यापार की तिथि/ तारीख आवंटन का	
7	8	9	10	11

<u>वचन</u>

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं:

a) कि मेरे पास वचन पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई यूपीएसआई नहीं है और/या मुझे कोई यूपीएसआई प्राप्त नहीं हुआ है;

- b) कि अगर मेरे पास वचन पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेन-देन के निष्पादन से पहले यूपीएसआई तक पहुंच है या प्राप्त है, तो मैं अनुपालन अधिकारी को अपनी स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करूंगा और मैं उस समय तक प्रतिभूतियों में लेन-देन से दूर रहूंगा।
- ग) कि मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता और समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
- डी) मैं व्यापार करूंगा, जिसे पूर्व-मंजूरी दी गई है, पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन से सात व्यापारिक दिनों के भीतर;
- ई) मैं निष्पादित ट्रेड से छह महीने की अवधि के भीतर एक कॉन्ट्रा ट्रेड निष्पादित नहीं करूंगा;
- च) कि मैं लेन-देन के निष्पादन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट/यदि लेनदेन नहीं किया जाता है तो एक 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देता हूं;
- छ) मुझे पता है कि, अगर किसी भी समय उपरोक्त घोषणाएं भ्रामक या गलत पाई जाती हैं, तो मैं कंपनी के कोड के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कोड में निर्धारित दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी हूं।
- h) कि मैं एतद्द्वारा ट्रेडिंग विंडो को बाद में बंद घोषित किए जाने की स्थिति में स्वीकृत अविध में प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करने का वचन देता हूं;
- i) कि मैंने इस मामले में पूर्ण और सही खुलासा किया है।

ऊपर दिया गया कोई भी बयान असत्य पाए जाने की स्थिति में या मेरे द्वारा ऊपर दिए गए आश्वासन और वचनबद्धता का अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, मैं दंड, दावों, ऐसी विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति, व्यय और हानि की जिम्मेदारी लेता हूँ ।

स्थानः हस्ताक्षरः तारीखः नामः

<u>कार्यालय उपयोगार्थ</u> आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

फार्म ए

मध्यस्थ / प्रत्ययी से वचन

सं.	विवरण	विवरण
1	इकाई का नाम:	
2	इकाई का प्रकार / प्रकृति	
3	संपर्क बिंदु - नाम और मोबाइल नंबर	
4	संस्था का पैन / अन्य पहचानकर्ता, यदि पैन लागू नहीं है	
5	गोपनीयता / गैर-प्रकटीकरण समझौता (हां / नहीं)	
6	गोपनीयता / गैर-प्रकटीकरण समझौते की तिथि	
7	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

मैं, इकाई की ओर से, यह पुष्टि करने का वचन देता हूं कि मुझे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का कोड प्राप्त हो गया है और माना जाता है कि इस कोड के अनुपालन में किसी भी यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया गया है और कोड और विनियमों का पालन करूंगा।

	के लिए	
	हस्ताक्षरः	
तारीख:	नामः	
स्थान:	पदनाम: (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/!	प्रतिनिधि

फार्म बी

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 [विनियम 7 (1) (बी) विनियम 6 (2) के साथ पढ़ें - प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/निदेशक/प्रमोटर/प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम: कंपनी का आईएसआईएन:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह के सदस्य और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों दान नियुक्त प्रतिभूतियों का विवरण।

एस अन्य व्यक्तिया द्वारा नियुक्त					
नाम, पैन, सीआईएन /	व्यक्ति की श्रेणी	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति के समय या १	प्रमोटर बनने या	शेयरधारिता का %
डीआईएन और संपर्क नंबर	(केएमपी/निदेशक या प्रमोटर	की तारीख/या प्रमोटर बनने	प्रमोटर समूह का सदस्य बनने के समय धा		
कें साथ पता।	्या प्रमोटर समूह के	की तारीख/प्रमोटर ग्रुप का	प्रतिभृतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए -	संख्या	
1 411 1 411	सदस्य/निकटतम	सदस्य	शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स		
	रिश्तेदार/अन्य, आदि)	(IQ(4	एंटाइटेलमेंट, आदि)		
	ारसतदार/जन्य, जााद)		एटाइटलमट, आदि)		

नोट: "सिक्योरिटीज" का अर्थ SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है ।

KMP या निदेशक की नियुक्ति पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर समूह के प्रमोटर या सदस्य बनने पर और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट (OI) का विवरण विनियम 6(2) में।

	के समय या प्रमोटर समूह के प्रमो विष्य के अनुबंधों का ओपन इंटरेर		निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय या प्रमोटर समूह के प्रमोटर/सदस्य बनने पर आयोजित विकल्प अनुबंधों का ओपन इंटरेस्ट					
अनुबंध विनिर्देशों	इकाइयों की संख्या (अनुबंध *	रुपये के संदर्भ में कल्पित	अनुबंध विनिर्देशों	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * रुपये के संदर्भ में कल्पि				
	लॉट आकार)	मूल्य	_	लॉट साइज)	मूल्य			
	0 00 3 0	2.2						

नोट: विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी

	-		
\mathbf{I}	.থাত	ਵਤਸ	ाक्षर:
,1114	MI (67/1	IQIT.

पढ

तारीख:

स्थान:

फार्म सी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 [विनियम 7 (2) विनियम 6(2) के साथ पठित - निरंतर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम: कंपनी का आईएसआईएन:

प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, किसी सूचीबद्ध कंपनी के नामित व्यक्ति या निदेशक और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदार और अन्य ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभूतियों के धारण में परिवर्तन का विवरण जैसा कि विनियम 6(2) में उल्लिखित है।

	यम ६(२) म उल्ला													
नाम, पैन,	व्यक्ति की श्रेणी	अधिग्रहण/निप	पटान से	प्रतिः	भूतियों क	ग अधिः	ग्रहण <i>।</i> निपटान	अधिग्रहण के बाद		आव		कंपनी	अधिग्रहण/	एक्सचेंज
सीआईएन/	(प्रमोटर/प्रवर्तक	पहले धार्नि		-			प्रतिभूतियां/ सलाह/शेयरों		/शेयरों	को	निपटान	जिस पर		
डीआईएन,	समूह का	प्रतिभूति	यां					निपटान	वे	र्व	सूचित	का तरीका	व्यापार	
और संपर्क	सदस्य/नामित	-								अधि	ग्रहण	करने	(बाजार	निष्पादित
नंबर के	व्यक्ति/									की वि	तेथि/	की	पर/	किया
साथ पता।	निदेशक एस /									शेयर	ों का	तिथि	जनता/	गया था
	तत्काल									निपटान,			राइट्स/	
	रिश्तेदार /									उल्लि	ाखित		राइट्स/ प्रेफरेंसियल	
	अन्य आदि।)									कर	रना		ऑफर/	
		प्रतिभूतियों	संख्या	प्रतिभूतियों	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार	प्रतिभूतियों का	संख्या	से	तक		ऑफ	
		का प्रकार	और	का प्रकार			(खरीद/बिक्री	प्रकार	और				मार्केट् <i>।</i>	
		(उदाहरण	शेयर	(उदाहरण के			गिरवी/निरसन/आमंत्रण/	(उदाहरण के	शेयर				इंटर-से	
		के लिए .	होल्डिंग	लिए .			अन्य, कृपया निर्दिष्ट	ृ लिए .	का%				ट्रांसफर, ईएसओपी,	
		- शेयर,	का%				करें)	- शेयर, वारंट,					ईएसओपी,	
		वारंट,		शेयर, वारंट, परिवर्तनीय				परिवर्तनीय					आदि)	
		परिवर्तनीय		परिवर्तनीय				डिबेंचर, राइट्स						
		डिबेंचर,		डिबेंचर,				एंटाइटेलमेंट,						
		राइट्स्		राइट्स एंटाइटेलमेंट,				आदि)						
		एंटाइटेलमेंट		एटाइटलमट,										
		आदि)		आदि)										
	20.0		201			2 00								

नोट: (i) "सिक्योरिटीज" का अर्थ SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है । (ii) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है

प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति या सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदार और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण

	डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध का प्रकार, फ्यूचर या विकल्प आदि निर्दिष्ट करें)							
अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देशों	खर्र	ोदना	16	निष्पादित किया गया था			
	_	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या			
			(अनुबंध * लॉट आकार)		(अनुबंध * लॉट आकार)			

नोट: विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्टाइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

तारीख:	नाम और हस्ताक्षर
स्थान:	पद:

फार्म डी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 विनियमन 7(3) - कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लेनदेन

कंपनी का नाम: कंपनी का आईएसआईएन:

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभृतियों में व्यापार का विवरण

कपना द्वारा पह नाम, पैन,	कं पनी	अधिग्रहण/नि						अधिग्रहण वे	र सार	.थार्च	23	कंपनी	अधिग्रहण/निपटान	एक्सचेंज
सीआईएन/	के	पहले धारित प्र		ЯК	प्रतिभूतियों का अधिग्रहण / निपटान			धारित प्रतिभ		आवंटन सलाह/शेयरों		को	का तरीका (बाजार	जिस पर
नी आईएन/		पहल वास्ति प्र	।।त मू।तपा					वारित प्रातम् निपटान		के अधि		सूचित	•	
डीआईएन, और संपर्क	साथ संबंध							194619	1	की वि			पर/	व्यापार निष्पादित
	सबध									शेयर		करने	जनता/ राइट्स/प्रेफरेंसियल	ानष्यादित किया
नंबर के										_		की तिथि		
साथ पता। कंपनी द्वारा										निपत उल्लि	त्रान, चित्र	เตเน	ऑफर/ ऑफ मार्केट/इंटर-	गया था
पहचाने गए अन्य से					T	T			T	->			से ट्रांसफर, ईएसओपी, आदि)	
		प्रतिभूतियों	संख्या	प्रतिभूतियों	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार	प्रतिभूतियों	संख्या	से	तक		इएसआपा, आदि)	
जुड़े व्यक्ति		का प्रकार	और	का प्रकार			(खरीद/बिक्री	का प्रकार	और					
		(उदाहरण	शेयर होल्डिंग	(उदाहरण के			गिरवीं/निरसन/आमंत्रण/	(उदाहरण के	शेयर					
		के लिए .		लिए .			अन्य, कृपया निर्दिष्ट	लिए .	का%					
		- शेयर,	का%	- शेयर, वारंट,			करें)	- शेयर, ं	पकड़े					
		वारंट, परिवर्तनीय		परिवर्तनीय				वारंट, परिवर्तनीय						
		पारवतनाय चिटेंन्न		डिबेंचर,				पारवतनाय चिटेंन्न						
		डिबेंचर,		,				डिबेंचर,						
		राइट्स एंटाइटेलमेंट		राइट्स एंटाइटेलमेंट,				राइट्स एंटाइटेलमेंट,						
		्राइटलमट अ प्टि		अदि)				५८।इटलमट,						
		आदि)		GIIQ)				आदि)						

नोट: (i) "सिक्योरिटीज" का अर्थ SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है। (ii) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण

,	डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध का प्रकार, फ्यूचर या विकल्प आदि निर्दिष्ट करें) ए								
अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देशों	खरीदना बेचना			चना	निष्पादित किया गया था			
		कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या				
			(अनुबंध * लॉट आकार)		(अनुबंध * लॉट साइज)				
3		3 0 3:3							

नोट: विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

तारीख:	हस्ताक्षर:
स्थान:	नाम:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 विनियम 9(ए) अनुसूची बी के साथ पठित <u>फॉर्म इ</u>

मैं निवासी निम्नलिखित का खुलासा करें:	एक नामित	व्यक्ति	पुत्र (जैसा f	या पुत्री के कोड में	परिभाषित	किया	गया	है),	इसके	, द्वारा
तत्काल रिश्तेदारों और जिनके साथ मह	इत्वपूर्ण वित्तीय	संबंध स	ाझा कि	या गया है व्य	क्ति का विव	रण:				

क्र.सं.	विवरण	नाम	पैन या जहां पैन उपलब्ध नहीं है, तो (आधार , मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)	मोबाइल नंबर	नियुक्ति की तिथि / 31 मार्च, के अनुसार धारित प्रतिभूतियां / भविष्य के ओपन इंटरेस्ट या विकल्प अनुबंध
1	स्वयं				
2	जीवनसाथी				
3	पिता				
4	माता				
5	भाई				
6	बहन				
7	बेटा				
8	बेटी				
9	जीवनसाथी का पिता				
10	जीवनसाथी की माँ				
11	जीवनसाथी का भाई				
12	जीवनसाथी की बहन				
13	जीवनसाथी का बच्चा				
14	व्यक्ति (यों) जिनके				
	साथ आप महत्वपूर्ण				
	वित्तीय संबंध साझा				
	करते हैं, सामान्य रूप				
	से नहीं				
15	कोई दूसरा				

इसके अलावा, नियमों के तहत आवश्यक मेरे अतिरिक्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

शैक्षिक संस्थान के नाम जहां से स्नातक किया	
पिछले नियोक्ताओं के नाम	

वचन

मैं,	
a)	मैं गोपनीयता बनाए रखूंगा और/या यूपीएसआई के अनिधकृत प्रकटीकरण को रोकूंगा;
b)	मैं इस संहिता और विनियमों के अनुपालन का पालन करूंगा; और
c)	उपर्युक्त जानकारी में किसी भी परिवर्तन के मामले में, मैं अनुपालन अधिकारी को परिवर्तन की सूचना दूंगा।
•	मैं एतदद्वारा यह वचन देता हूं कि मैं कंपनी को cs.pit@ircon.org पर ईमेल द्वारा / हार्ड कॉपी के माध्यम से उपरोक्त विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करता रहूंगा, जब तक कि नामित व्यक्ति (स्थानांतरण/त्यागपत्र/सेवानिवृति/सेवानिवृति के कारण) नहीं रहेगा।
	ारीखः हस्ताक्षरः थानः नामः

आरईजी-।

प्रतिभूतियों में व्यापार योजना के अनुमोदन और स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचना का रजिस्टर

क्र.सं -	नाम	पद	विभाग	ट्रेडिंग योजना आवेदन की प्राप्ति की तिथि और समय	प्रकृति	आवेदन में संकेतित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में संकेतित अनुमानित प्रतिफल मूल्य	तत्काल रिश्तेदार का नाम यदि लेन-देन तत्काल रिश्तेदार के नाम पर है	अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन/अस्वीकृति के संचार की तिथि	अनुमोदन न करने के कारण , यदि साफ़ नहीं किया गया	की गई	एक्सचेंजों को अधिसूचना की तिथि	टिप्पणियों
8	9	10	11	12	13	14

आरईजी-॥

ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि का रजिस्टर

क्र.सं.	तारीख ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना देने के संबंध में, यदि कोई	होने की आरंभ	ट्रेडिंग विंडो खुलने की तिथि	जिस प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है, यदि कोई हो	

आरईजी-॥।

प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पूर्व-मंजूरी का रजिस्टर

क्र.सं -	नाम	पद	विभाग	तारीख और का समय पूर्व-मंजूरी की प्राप्ति आवेदन	प्रकृति लेन-देन का (खरीद या बिक्री)	अनुमानित संख्या में दर्शाई गई प्रतिभूतियों की आवेदन
1	2	3	4	5	6	7

अनुमानित प्रतिफल मूल्य आवेदन में दर्शाया गया है	निकट संबंधी का नाम यदि लेनदेन तत्काल रिश्तेदार के नाम पर है	अधिकारी द्वारा	कारण, यदि	समक्ष नियुक्ति की	कारोबार की गई प्रतिभूतियों की संख्या	टिप्पणियों
8	9	10	11	12	13	14